कृषि उपज विपणन समिति सोलन हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018

भाग-I

1 प्रारम्भिक:-

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एंव उद्यानिकी उपज (विकास एंव विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 48(2) के दृष्टिगत कृषि उपज मण्डी समिति सोलन जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया|

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान मण्डी समिति सोलन में निम्नलिखित पदाधिकारी अध्यक्ष तथा सचिव के पद पर कार्यरत रहे:-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	पद	कार्यकाल
1	श्री रमेश ठाकुर	अध्यक्ष	01.04.2017 से 31.03.2018
2	श्री प्रकाश कश्यप	सचिव	01.04.2017 से 31.03.2018

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

कृषि उपज विपणन समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अंकेक्षण पैरों की गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्यां	विवरण	पैरा संख्यां	राशि (लाखों में)
1.	वितीय स्थिति व् बैंक शेष में अन्तर	4(ख)	26.68
2.	सावधि जमा की परिपक्कता कम प्रदान करना	4(ग)(ii)	2.61
3.	अकुशल वितीय प्रबन्धन के कारण ब्याज की हानि	4(ग)(iii)	6.83
4.	सावधि जमा पर कम ब्याज प्रदान करना	4(ग)(iv)	0.24
5.	सर्विस टैक्स का अधिक भुगतान	4 (घ)	0.16

6	लीज रेन्ट वसूली हेतु शेष	4(ङ०)	5.88
7.	अग्रिम समायोजन हेतु शेष	5(क)	3.76
8.	निक्षेप कार्यों के लिए जमा राशि की सूची तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	5(ख)	399.54
8.	दुकानों/गोदामों के किराए की वसूली हेतु शेष राशि व सूचि प्रस्तुत न करना	7	------
9.	दुकानों के पट्टे की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8	9.31
10.	मण्डी शुल्क की कम वसूली करना	10	0.83
11.	टैक्सी भाड़े का अनियमित भुगतान	15	0.53
12.	बिना बजट प्रावधान के किया अनियमित व्यय	17,18, 27 व् 31	39.78
13.	मेहमानों के खाने व् ठहरने पर किया गया अनियमित व्यय	25	0.58

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो पर की गई कार्यवाही की समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति संलग्न **"परिशिष्ट –क"** पर दर्शायी गई है | गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वसूली से सम्बन्धित अनेक आपत्तियां शामिल है जिन पर शीघ्र कार्यवाही करके वसूली करने के अतिरिक्त अन्य पैरों का भी निपटारा करवाया जाए |

भाग-II

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

कृषि उपज विपणन समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा श्रीमती ममता रावल, अनुभाग अधिकारी द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के आधार पर किया गया था|

3 अंकेक्षण शुल्क:-

निवासी अंकेक्षण योजना मण्डी समिति सोलन में कार्यरत अनुभाग अधिकारी तथा लेखा परीक्षक का वितीय वर्ष 2017-18 का अंकेक्षण शुल्क **₹11,91,902** आँका गया जिसे मण्डी

समिति द्वारा चैक संख्या:**247981** दिनांक 18.06.2018 द्वारा निदेशक हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया है |

4 वितीय स्थिति:-

(क) मण्डी समिति सोलन द्वारा **परिशिष्ट-"ख"** पर प्रस्तुत मण्डी समिति की वर्ष 2017-18 की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है:-

दिनांक 01.04.2017 को आरम्भिक शेष:-

(i) रोकड़ बही तथा बैंक शेष	30,08,49,180.86
(ii) अस्वीकृत चैक	16,87,197.00
कुल आरम्भिक शेष	**30,25,36,377.86**
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	12,94,53,805.73
कुल योग	**43,19,90,183.59**
वर्ष के दौरान कुल भुगतान	4,99,71,152.00
दिनांक 31.03.2018 को अन्तिम शेष	**38,20,19,031.59**
(i) रोकड़ बही तथा बैंक शेष	**38,03,31,834.59**
(ii) अस्वीकृत चैक	16,87,197.00
योग	**38,20,19,031.59**

दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ तथा बैंक के अन्तिम शेष का विस्तृत ब्यौरा:-

क्र0सं0	विवरण	राशि (₹)
1	**विभिन्न बैंकों के बचत तथा चालु खातों में जमा राशि (परिशिष्ट-ख के अनुसार)**	7,11,13,115.60
2	सावधि जमा में निवेश राशि **(परिशिष्ट- ग के अनुसार)**	30,65,50,333.00
3	हस्तगत चैक/शेष राशि	------
4	स्थाई अग्रिम राशि	500.00
	कुल योग	**37,76,63,948.60**

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वितीय स्थिति में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जानी आपेक्षित है;

रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	38,03,31,834.59
सावधि जमा तथा बचत खातों के अनुसार अन्तिम शेष	37,76,63,948.60
अन्तिम शेषों में कुल अन्तर	**26,67,885.99**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

मण्डी समिति सोलन द्वारा नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही/गई है जबकि दिनांक 31.03.2018 को मण्डी समिति की वितीय स्थिति (आय व्यय विवरणी) के अनुसार अन्तिम शेष व् बैंक खातों (बचत खातों तथा सावधि जमा) के अन्तिम शेष में **₹26,67,885.99 {380331834.59-377663948.60}** का भारी अन्तर पाया गया है| अतः बैंक शेष तथा रोकड़ बही/आय व्यय विवरणी के अन्तिम शेष में पाए गए अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त अन्तर से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार माहवार बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

(ग) निवेश:-

मण्डी समिति सोलन द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधि जमा योजना में **₹30,65,50,333** की निवेशित थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- "ग"** में दिया गया है | मण्डी समिति द्वारा दिनांक 31.03.2018 को विभिन्न बैंकों में सावधि जमा निवेश तथा 18 बचत/चालू बैंक खाते खोल रखे थे| यह निवेश/खाते कोआपरेटिव, राष्ट्रीयकृत तथा अधिकतर निजी बैंकों में खोल रखे थे| अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मण्डी समिति की सरप्लस निधि का निवेश हिमाचल प्रदेश सरकार वित् विभाग के पत्र संख्यां फिन-आई०एफ०(ए)1-66/91-v, फाइनेंस डिपार्टमेंट (आई०एँफ़) शिमला-171002 दिनांक 17.04.2014 में दिए गए निर्देशानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए | इस प्रकार की अनियमितता बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्यां-4(ग) द्वारा भी सरप्लस निधि को निवेश करने बारे सुझाव दिया गया था परन्तु मण्डी समिति द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लायी गई जोकि इसी पैरा के क्रमांक (vii) से स्वतः स्पष्ट है|

(i) सावधि जमा की परिपक्कता राशि को बचत खातों में देरी से जमा (Credit) करने के कारण ₹1.82 लाख के ब्याज की हानि:-

सावधि जमा से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया की बैंक द्वारा सावधि जमा की परिपक्कता राशि का मण्डी समिति के बचत खातों में देरी से जमा (Credit) दिया गया है जिस कारण मण्डी समिति को निम्न विवरणानुसार ब्याज के रूप में लगभग ₹18163 की हानि हुई है जिस बारे जांच करके स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत अवगत करना सुनिश्चित किया जाए |

Amount of Invest ment	Rate of Intt. (%)	Amount of Maturity	Date of maturity	Date of credit of amount in SB A/C or further investme-nt	Delay in days	Intt. Loss due to late credit	Remarks
Name of Bank:-JCC, Parwanoo							
29575198	6.70	31607081	30.03.18	12.04.18	13	70575/-	Further Invested
6985258	6.00	7164387	31.03.18	12.04.18	12	13779/-	------do------
11453989	6.00	11764659	31.03.18	12.04.18	12	22594/-	-----do------
9000000	5.75	9120514	31.03.18	12.04.18	12	17013/-	-----do------
9328190	7.25	9893545	27.03.17	30.03.17	3	5559/-	-----do------
4769983	7.50	5137920	29.03.17	30.03.17	1	980/-	-----do------
7812873	7.00	8080694	27.03.17	30.03.17	3	4495/-	-----do------
Name of Bank:- Allahbaad Bank, Nalagarh							
2331674	7.00	2499705	30.03.18	13.04.18	13	5813/-	Credited in SB
Name of Bank:- Baghat Bank Parwanno							
1070086	6.50	1100576	25.03.18	10.04.18	16	3049/-	-----do------
7000000	6.25	7101884	31.03.18	10.04.18	10	11986/-	-----do------
Name of Bank:-JCC, Nalagarh							
3499495	7.50	3594988	31.03.18	13.04.18	13	9349/-	-----do------
3812202	6.00	3914348	31.03.18	13.04.18	13	8147/-	-----do------
Name of Bank:-JCC, Solan							
2377148	8.00	2573101	21.01.18	30.01.18	9	4689/-	-----do------
Name of Bank:-Baghat Urban Co-operative Bank, Parwanoo							
4903805	7.75	5295038	17.01.18	03.02.18	17	3603/-	

Note:-Interest for 17 days late credit on Rs.4903805/- @ 7.75% works out to Rs.17700/- but bank has given/credited Rs.14098/- with maturity amount of FDR on 03.02.18, which 3603/-{17700-14098} less.							
Total						**181631**	

(ii) सावधि जमा की परिपक्कता राशि ₹2.61 लाख कम प्रदान करने बारे

सावधि जमा से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शायी गई सावधि जमा की परिपक्कता ₹260805 कम प्रदान की गई है जिस बारे जाँच करके स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा कम प्रदान की गई राशि को सम्बन्धित बैंक से प्राप्त करके मण्डी समिति कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए |

Name of bank:-PNB bye Pass Solan							
Amount of FDR	**Date of invest--ment**	**Date of maturity**	**Period in days/ year**	**Rate of Intt. (%)**	**Maturity amount given (Rs.)**	**Maturity amount should be (₹)**	**Less Intt. Given (₹)**
5818196	28.09.17	28.03.18	182 day	6.60	6001435	6011780	10345
Name of bank:-Bhartiya mahila Vikaas Bank Solan							
10388634	27.03.17	27.03.18	1 year	6.50	10837238	11080534	243295
Name of bank:-PNB, Parag, Solan							
5316814	27.03.17	29.01.18	308 day	6.75	5619565	5626730	7165
Total							**260805**

(iii) अकुशल वितीय प्रबन्धन के कारण मण्डी समिति को ब्याज रूप में ₹6.83 लाख की हानि:-

सावधि जमा से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा दिनांक 29.11.16 को HDFC Bank, Parwanoo में FDR No. 50300173042590 में एक वर्ष की अवधि के लिए 6.5% ब्याज दर पर ₹1,75,00,000 का निवेश किया गया था जबकि उक्त अवधि में PNB/JCC, Bank क्रमशः 7.20/7.30% ब्याज दर प्रदान कर रही थी जोकि HDFC Bank द्वारा प्रदान की गई ब्याज दर से 0.80% अधिक थी इसी प्रकार उपरोक्त सावधि जमा की परिपक्कता राशि ₹18665243 को दिनांक 29.11.2017 को पुनः एक वर्ष की अवधि के लिए 4.9% ब्याज दर पर निवेश किया गया था जबकि उक्त अवधि में PNB/JCC, Bank

क्रमशः **6.60/6.70%** ब्याज दर प्रदान कर रहा था जोकि HDFC Bank द्वारा प्रदान की गई ब्याज दर से लगभग **1.80%** अधिक थी| उपरोक्त राशि को असुनियोजित ढंग से निजी बैंक में कम ब्याज दर पर निवेश करने के कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप ₹478669 {(0.80% on ₹17500000) =₹**140420}** and [(1.80% on 18665243/-)=₹**338249]** की हानि हुई है|

इसी प्रकार दिनांक 27.03.2017 को ₹1,03,88,634 SBI Solan की FDR No.37360201250 में 4.75% वार्षिक दर से एक वर्ष की अवधि के लिए निवेश किये गए थे जबकि उक्त अवधि में PNB/JCC, Bank क्रमशः **6.60/6.70%** ब्याज दर प्रदान कर रही थे जोकि SBI Bank द्वारा प्रदान की गई ब्याज दर से लगभग **1.95%** अधिक थी | अतः उक्त राशि को कम ब्याज दर पर निवेश करने के कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप ₹204000 {(1.95% on ₹10388634) की हानि हुई है | अतः मण्डी समिति निधि को कम ब्याज दर पर निवेश करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा **₹6,82,669/-{478669+204000}** की उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डी समिति कोष में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(iv) FDR No.177308/- की परिपक्वता पर ₹0.24 लाख का कम ब्याज प्रदान करना:-

JCC, Bank Solan में FDR No.177308 में दिनांक 16.10.17 को 7.50% ब्याज दर पर ₹34,99,495 को 166 दिन के लिए निवेशित किया गया तथा दिनांक 31.03.2018 को परिपक्वता पर ₹35,94,988 प्रदान की गई जबकि उपरोक्त ब्याज दर पर उक्त अवधि के उपरान्त ₹36,18,861 की राशि प्राप्त होनी अपेक्षित थी | अतः बैंक द्वारा **₹23,873** कम परिपक्वता राशि प्रदान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि को सम्बन्धित बैंक से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए|

(v) बचत खातों में सरप्लस पड़ी राशि को सुनियोजित ढंग से निवेश न करने के कारण हो रही ब्याज की निरन्तर हानि:-

लेखों की जांच में पाया गया कि मण्डी समिति के विभिन्न बचत बैंक खातों में लाखों रुपये की राशि लगभग पूरे वर्ष बिना किसी उपयोग के जमा थी। यदि मण्डी समिति के आवश्यकता को देखते हुए उक्त राशि को सुनियोजित ढंग से निवेश किया जाता तो उक्त राशि पर मण्डी समिति को

ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित हो सकती थी| अतः उक्त राशि को निवेश न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सरप्लस पड़ी निधि को सुनियोजित ढंग से निवेश करके मण्डी समिति को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित करना सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न बैंकों में जमा राशियों के कुछ उदहारण निम्न प्रकार से है:-

Name of Bank	Account No.	Amount	Remarks
ICICI, Bank Solan	050405000649	1146983/-	No withdrawal during the yr.
Bank of Baroda Rabon	5319010000902	5241032/-	No withdrawal 02/18 to 03/18
SBI, Solan	65292121063	7929863/-	No withdrawal during the yr.
Indusind Bank Solan	100052638809	5484186/-	------do------
Axis Bank Parwanoo	917010048001702	13568821/-	No withdrawal 07/17 to 03/18

(vi) बिना लेन-देन के बचत बैंक खातों का रख-रखाव करना:-

लेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाए गए बचत बैंक खातों का पिछले कई वर्षों से बिना किसी लेनदेन के अनुरक्षण किया जा रहा है जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस प्रकार निष्क्रिय पड़े सभी बैंक खातों को तुरन्त प्रभाव से बन्द करना सुनिश्चित किया जाए |

No	Name of bank	Account Number	Remarks
1	JCC Nalagarh	101334001005943	Nil Transaction/ Intt. & FDR
2	OBC Bank Solan	02572010000580	Nil Transaction/ Intt. credited
3	Allahbad bank Solan	50177294961	------do------
4	HDFC Bank Solan	50100018151817	------do------
5	Axis Bank Solan	910010018216090	------do------
6	Baghat bank Chambaghat	10700505036	Nil Transaction/ Intt. & FDR

(vii) सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए मण्डी समिति की निधि को निजी बैंकों में निवेश करना:-

लेखों की जांच में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान अपनी अधिकाँश निधि को निजी बैंकों के बचत खातों/सावधि जमा में निवेश किया गया है जोकि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है | अतः राशि को राज्य सहकारी

बैंकों व् राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश करने के बजाय निजी बैंकों में निवेश करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए निजी बैंकों में निवेश की गई राशि को राज्य सहकारी बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थानांतरित करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

Sr.	**Name of Bank**	**Account number**	**Amount in SB A/C as on 31.03.2018**	**Amount invested in FDR,s**
1.	Axis Bank Solan	910010018216090	2761.77	------
2.	Axis Bank, Parwanoo	917010048001702	13101743.33	------
3.	Baghat Bank Chambaghat	10700505036	1423/-	32196745/-
4.	Baghat Bank Parwanoo	10700648021	613985/-	3463767/-
5.	HDFC, Solan	50100018151817	8349/-	------
6.	Allahbad Bank Nalagarh	50177294961	1431/-	------
7.	Yes Bank, Solan	02239460000044	13568464.63	11403707/-
8.	HDFC, Parwanoo	50100052901831	10559758.69	32134079/-
9.	Indusind Bank Solan	100052638809	5292666/-	------
10.	A.U. Bank Solan	1781238612276616	6634538/-	------
11.	Bank of Baroda Solan	53190100000902	3795264/-	------
12.	ICICI, Bank Solan	050405000649	1094111.84	------
	Total		**54674496.26**	**79198298**/-

(viii) सावधि जमा से सम्बन्धित दस्तावेज (Documentary Proof) प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान सावधि जमा से सम्बन्धित Documentary Proof/copies of FDRs सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण FDR Register में सावधि जमा से सम्बन्धित दर्ज आवश्यक सूचना, जैसे सावधि जमा की राशि, निवेश की तिथि उसकी अवधि, ब्याज दर परिपक्कता राशि इत्यादि का अभिलेख के साथ सत्यापन/मिलान नहीं की जा सका, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

(घ) सर्विस टैक्स के रूप में ₹15,927 का अधिक भुगतान:-

लेखों की जाँच में पाया गया कि गत वर्ष के लेखों के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को सर्विस टैक्स की कुल **₹3,18,358** की देयता (liability) दर्शायी गई थी, परन्तु उक्त देयता के विरुद्ध दिनांक 03.04.2017 को **₹3,34,285** का भुगतान दर्शाया गया है इस प्रकार मण्डी

समिति कोष से **₹15927/-{334285-318358}** का अधिक भुगतान हुआ है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा उक्त राशि का सम्बन्धित विभाग से समायोजन/वसूली करना सुनिश्चित किया जाए|

(ड०) लीज रेन्ट ₹5.88 लाख की वसूली न करना:-

लेखों की जाँच में पाया गया कि श्री सतीश आहूजा c/o दुर्गा फ्रूट कम्पनी, दुकान नम्बर 17 **{परिशिष्ट-"घ"}** से पिछले कई वर्षों से लीज रेन्ट **₹587885** वसूली हेतु शेष है अतः उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए साथ ही उक्त राशि की प्राथमिकता के आधार पर वसूली करना सुनिश्चित किया जाए|

(च) रोकड़ बही व् खाता बही की जांच में पाया गया कि इनमे दर्ज बहुत सारी प्रविष्टियों को Correcting Fluid लगाकर Overwriting करके बदला गया था तथा काट कर बदली गई प्रविष्टि को सक्षम प्राधिकारी/DDO से सत्यापित भी नहीं करवाया गया था जोकि अनियमित है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकार बदली गई समस्त प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(छ) अंकेक्षण द्वारा बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी वितीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय तालिका तथा तुलना पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त अभिलेख को तैयार करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए |

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:24 दिनांक 26/11/2019}

5 अग्रिम:-

(क) अग्रिम राशि ₹3.76 लाख समायोजन हेतु शेष:-

अंकेक्षण द्वारा बार-2 आग्रह किये जाने के बावजूद भी निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार अग्रिम के रूप में ली गई राशियाँ पिछले कई वर्षों से विभिन्न कर्मचारियों के नाम असमायोजित पड़ी हैं क्योकि मण्डी समिति द्वारा इनके समायोजन हेतु कोई भी प्रयास नहीं किये जा रहे है जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है| अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन राशियों का शीघ्र समायोजन करवाना सुनिश्चित किया जाए **(परिशिष्ट 4 (ड))**

नं	दिनांक	बिल नं	विवरण	कर्मचारी का नाम	राशि
1	19.04.11	43	डाक टिकट खरीद हेतु	सुशील कुमार लिपिक	2000/-

2	23.09.11	291	POL repair of vehicle	मोहन लाल, चालक	5000/-
3	01.11.11	375	डाक टिकट खरीद हेतु	सुशील कुमार लिपिक	2000/-
4	06.02.13	449	डाक टिकट खरीद हेतु	अमर सिंह, MS	1000/-
5	17.12.13	421	Freight Charges Q Forms	सुशील कुमार लिपिक	10000/-
6	20.01.15	504	केलेंडर डायरी की खरीद	सुशील कुमार लिपिक	7000/-
8	12.01.16	448	स्टेशनरी खरीद हेतु	लायकराम, लिपिक	10000/-
11	01.10.16	337	उदघाटन SMY वाक्नाघट	ब्यास देव, AAR	20000/-
12	17.12.16	512	केलेंडर डायरी की खरीद	लायकराम, लिपिक	10000/-
13	28.12.16	526	उदघाटन SMY कंडाघाट	सुशील कुमार लिपिक	100000/-
15	04.01.17	546	SMY कुनिहार में शिविर	सुशील कुमार लिपिक	50000/-
16	04.01.17	547	MY सोलन में शिविर	ब्यास देव, AAR	25000/-
17	04.01.17	548	SMY नालागढ़ में शिविर	अमर सिंह, MS	50000/-
18	13.06.17	184	स्टेशनरी खरीद	लायकराम, लिपिक	12000/-
19	17.06.17	204	अनाज मण्डी उदघाटन	अमर सिंह, MS MS	50000/-
20	13.10.17	477	एक दिवसीय शिविर	ब्यास देव, AAR	20000/-
22	17.02.18	735	डाक टिकट खरीद	लायकराम, लिपिक	2000/-
				31.03.2018 को कुल असमायोजित अग्रिम राशि	**3,76,000/-**

(ख) डिपोजिट वर्क्स के लिए जमा अग्रिम ₹399.54 लाख की सूची तथा उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण द्वारा बार-2 आग्रह करने के बावजूद भी मण्डी समिति द्वारा डिपाजिट वर्क्स के लिए आहरित अग्रिम की असमायोजित राशि की सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए| अंकेक्षण के पास उपलब्ध अभिलेख (Monthly Progress Report) के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को निम्न विवरणानुसार ₹3,99,54,439 हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड तथा अन्य विभागों के पास कई वर्षों से

असमायोजित पड़ी है जिसके **उपयोगिता/कार्य पूर्ण प्रमाण** पत्र बोर्ड तथा अन्य विभागों से शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करके लम्बे समय से असमायोजित पड़ी इन राशियों का समायोजन करना सुनिश्चित किया जाए तथा इन राशियों के समर्थन में विपणन बोर्ड तथा अन्य विभागों द्वारा जारी मिलान पत्र भी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाएँ|

No.	Name of Organization and Department with whom Amount of Advance deposited	Amount Outstanting as on 31.03.2018
1	H.P. State Marketing Board, Khalini, Shimla	3,42,49,399/-
2	Irrigation and Public Health Department	3,57,700/-
3	H.P.S.E.B, Electrical Division, Parwanoo	7,91,350/-
4	Executive Engineer HIMUDA, Parwanoo	1,52,918/-
5	AE, Electrical, Sub-Division-III, Solan.	2,65,020/-
6	Executive Engineer HIMUDA, Parwanoo	4,34,577/-
7	AE, Electricity Department, Parwanoo.	14,24,930/-
8	AE Electrical, Sub. Division HPSEB, Kandaghat	7,66,400/-
9	AE IPH sub Division Kandaghat	1,55,000/-
10	AE Electrical Sub Division H.P.S.E.B, Ltd.-1 Nalagarh	13,57,145/-
	Grand Total	**3,99,54,439/-**

6 पूर्वांकिक्षण में प्रस्तुत बिलों में से ₹3.42 लाख की कटौती (Retrechment)

मण्डी समिति सोलन द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्वांकिंक्षण हेतु प्रस्तुत विभिन्न बिलों के अंकेक्षण के दौरान ₹3,42,202 की कटौतियां की गई है | अंकेक्षण द्वारा की गई उक्त कटौतियों के अतिरिक्त विभिन्न बिलों को पारित करने से पूर्व उनमें पाई गई अनियमितताओं के बारे में मण्डी समिति को अवगत करवाकर आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही बिलों को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने को कहा गया है जिससे लाखों रूपए के अपव्यय को रोककर मण्डी समिति को होने वाली वितीय हानि को रोका गया है| इसके अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा विभिन्न वितीय मामलों में मण्डी समिति के अधिकारियों व् कर्मचारियों का समय-2 पर सही मार्गदर्शन भी किया गया है|

7 दिनांक 31.03.2018 को दुकानों के किराये की वसूली हेतु शेष राशि व सूची अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण द्वारा बार-2 आग्रह करने के बावजूद भी मण्डी समिति द्वारा विभिन्न मार्किट यार्डों में आबंटित दुकानों के किराये की 31.03.2018 को वसूली हेतु शेष राशि का विवरण तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वितीय वर्ष के अन्त में किराये की कुल बकाया राशि तथा उसकी सत्यता बारे जाँच नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः दिनांक 31.03.2018 को दुकानों की किराए की वसूली हेतु बची शेष राशि का विवरण सम्बन्धित अभिलेख सहित अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

8 टर्मिनल मण्डी परवाणू में पट्टे पर आबंटित दुकानों के पट्टाधारियों से ₹9.31 लाख वसूली हेतु शेष:-

मण्डी समिति सोलन द्वारा टर्मिनल मण्डी परवाणू में विभिन्न कारोबारियों को पट्टे पर दुकानें आबंटित की गई है जिनमे से **परिशिष्ट-"घ"** पर दर्शाए गए विवरणानुसार विभिन्न पट्टाधारियों से दिनांक 31.03.2018 को **₹9,30,619** वसूली योग्य शेष थी जिसकी वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर उचित पग उठाये जाने सुनिश्चित किये जाएँ तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

9 मण्डी समिति द्वारा विभिन्न दुकानों/गोदामों की प्रतिभूति राशि का विवरण तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण द्वारा बार-2 आग्रह करने के बावजूद भी मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2017-18 में विभिन्न दुकानों/गोदामों की प्रतिभूति के रूप में बकाया राशि तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण प्रतिभूति राशि की कुल देयता तथा उसकी सत्यता बारे जाँच नहीं की जा सकी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें तथा प्रतिभूति से सम्बन्धित अभिलेख को उसकी दिनांक 31.03.2018 की कुल देयता की सूची/स्थिति सहित आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

10 मण्डी शुल्क ₹0.83 लाख की कम वसूली करना:-

मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न कारोबारियों/कमीशन एजेंटों से निम्न तालिकानुसार ₹82645 की मण्डी शुल्क की कम वसूली की गई जिसे अब कारोबारियों से हिमाचल प्रदेश कृषि एंव औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 37(8) के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना राशि सहित वसूल करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

Period of sale/ purchase of agriculture produce	M/O form Number	Market fees realized	Market fees to be realized	Market fees less realized
Name of Commission Agent:-M/S Thakur Enterprises, Floor Mills Barotiwala				
01/07/09 to 30/09/09	47/1462 to 50/1462	------	5503/-	5503/-
02/10/09 to 30/03/09	03/58 to 08/58	7300/-	7333/-	33/-
04/01/13 to 27/03/13	0000158	------	9300/-	9300/-
02/04/13 to 30/06/13	132	8399/-	9121/-	722/-
			Total	**15558/-**
Name of Commission Agent:-M/S Dabor India Ltd. Baddi				
01/04/14 to 15/04/14	0041804	------	19393/-	19393/-
16/04/14 to 30/04/14	0042805	------	13732/-	13732/-
01/05/14 to 15/05/14	0042806	------	3702/-	3702/-
16/05/14 to 30/05/14	0042807	------	16738/-	16738/-
			Total	**53565**
Name of Commission Agent:-M/S Sidh Agro Industries baddi.				
05/2011	Bill-1977/0008101	919/-	1091/-	172/-
29/03/2013	0008117	------	2000/-	2000/-
08/2013	0008128	------	4000/-	4000/-
			Total	**6172/-**
Name of Commission Agent:-M/S Sansar Chand & Sons TM Parwanoo				
29/07/15 t0 05/08/15	0011166	3557/-	3809/-	252/-
02/09/15 to 13/09/15	11172 to 11174	14832/-	14874/-	42
			Total	**294/-**

Name of Commission Agent:-M/S SDFC TM, Parwanoo				
04/08/15 to 16/08/15	0001286 to 1287	9863/-	9917/-	54/-
			Total	**54/-**
20/08/14 to 23/08/14	347908	20698/-	20788/-	90/-
09/09/14 to 11/09/14	347913	18143/-	19344/-	1201/-
27/05/15 to 02/08/15	347921 to 923	10212/-	10247/-	35/-
03/08/15 to 08/08/15	347924 to 925	21569/-	27240/-	5671/-
12/09/16 to 21/09/16	347952 to 955	35808/-	35813/-	5/-
			Total	**7002/-**
			Grand Total:-{15558+53565+6172+294+54+7002}	**82645/-**

{अधियाचना संख्यां:3 दिनांक 11/07/17, 18 दिनांक 12/03/18, 23 दिनांक 24.03.18}

11 मण्डी शुल्क की नियमानुसार निर्धारित समय पर वसूली न करने के कारण मण्डी समिति को हो रही वितीय हानि:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकतम कारोबारियों द्वारा मण्डी शुल्क को देरी से जमा करवाया जा रहा है जोकि हिमाचल प्रदेश कृषि एंव औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 45(2) के प्रावधानों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। उपरोक्त नियम के अनुसार मंडी शुल्क जमा करने का प्रावधान निम्नानुसार है:-

"On the agricultural produce brought in the market area for the commercial transaction or for processing the market fee shall be deposited by the buyer or processor, as case may be, in the office of the market committee, within fourteen days but before the sale or resale or processing or export outside the market area of such agricultural produce."

परन्तु मण्डी समिति में मण्डी शुल्क को नियमानुसार जमा नहीं करवाया जा रहा है। उक्त अनियमितता से सम्बन्धित कुछ उदाहरण निम्न तालिका में दिए गए है। अतः उक्त नियम 45(3) में प्रावधित प्रावधानों की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में मण्डी शुल्क की वसूली करते समय उक्त नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना भी सुनिश्चित किया जाए|

Period of sale/ purchase of agriculture produce	Amount of Market fees	Receipt No. and Date of deposit
Name of Commission Agent:-M/S Thakur Enterprises, Floor Mills Barotiwala		
02/07/13 to 29/09/13	908/-	50/2403 dtd.12/12/2013
02/10/13 to 25/12/13	3407/-	40/2405 dtd.31/03/2014
05/04/14 to 28/12/14	14518/-	11/2345 dtd.07/02/2015
03/01/15 to 27/03/15	1895/-	259365 dtd.15/06/2015
02/04/15 to 28/07/15	6582/-	259534 dtd.21/09/2015
Name of Commission Agent:-M/S Dabor India Ltd. Baddi		
01/06/14 to 15/06/14	19903/-	8/2407 dtd.04/07/2014
16/06/14 to 30/06/14	78453/-	25/2407 dtd.23/07/2014
01/07/14 to 15/07/14	41526/-	57/2407 dtd.07/08/2014
16/07/14 to 31/07/14	70122/-	77/2407 dtd.29/08/2014
01/08/14 to 15/08/14	134240/-	91/2407 dtd.20/09/2014
01/09/14 to 15/09/14	71000/-	10/2408 dtd.10/10/2014
16/09/14 to 30/09/14	150582/-	21/2408 dtd.22/10/2014
01/10/14 to 15/10/14	90387/-	69/2408 dtd.15/11/2014
01/11/14 to 15/11/14	88632/-	47/2409 dtd.29/12/2014
16/11/14 to 30/11/14	129099/-	48/2409 dtd.29/12/2014
01/01/15 to 15/01/15	42125/-	49/2345 dtd.26/02/2015
16/01/15 to 31/01/15	34163/-	50/2345 dtd.26/02/2015
16/02/15 to 28/02/15	42968/-	36356 dtd.18/04/2015
01/03/15 to 15/03/15	74370/-	36357 dtd.18/04/2015
01/05/15 to 15/05/15	12090/-	259378 dtd.19/06/2015
01/06/15 to 15/06/15	18973/-	259506 dtd.03/08/2015
16/07/15 to 31/07/15	24430/-	259530 dtd.19/09/2015
01/08/15 to 15/08/15	109838/-	259531 dtd.19/09/2015
16/08/15 to 31/08/15	98978/-	259532 dtd.19/09/2015
Name of Commission Agent:-M/S Sidh Agro Industries baddi.		
05/04/15 to 27/04/15	1790/-	Rpt.No.259228 dtd.22/05/2015
01/05/15 to 12/05/15	22033/-	259411 dtd.26/06/2015

Name of Commission Agent:-M/S Parwanoo Rampur Goods Tpt. Coy.		
01/05/14 to 31/05/14	16536/-	51/2463 dtd.20/06/2014
01/12/14 to 31/12/14	22346/-	43/2468 dtd.17/01/2015
01/02/15 to 28/02/15	6351/-	259411 dtd.26/06/2015
Name of Commission Agent:-M/S Parag Milk Foods Pvt. Ltd. Parwanoo		
22/08/13 to 31/08/13	75036/-	39/2379 dtd.19/09/2013
01/09/13 to 30/09/13	31374/-	95/2379 dtd.25/09/2013
01/10/13 to 31/10/13	72036/-	67/2474 dtd.07/12/2013
01/12/13 to 31/12/13	13732/-	46/2477 dtd.27/01/2014
01/01/14 to 31/01/14	42179/-	78/2478 dtd.28/03/2014
01/02/14 to 28/02/14	15394/-	79/2478 dtd.28/03/2014
01/10/14 to 31/03/14	14269/-	76/2460 dtd.28/04/2014
01/04/14 to 30/04/14	68298/-	58/2463 dtd.24/06/2014
01/05/14 to 31/05/14	47892/-	59/2463 dtd.24/06/2014
01/06/14 to 30/06/14	59561/-	08/2465 dtd.24/07/2014
01/09/14 to 30/09/14	79972/-	168327 dtd.05/11/14
01/10/14 to 31/10/14	72087/-	168386 dtd.01/12/2014
01/11/14 to 30/11/14	128361/-	54/2468 dtd.30/01/2015
01/12/14 to 30/12/14	33478/-	55/2468 dtd.30/01/2015
01/01/15 to 31/01/15	33189/-	259779 dtd.06/04/2015
01/02/15 to 28/02/15	66575/-	259907 dtd.21/04/2015
01/03/15 to 31/03/15	77490/-	259908 dtd.21/04/2015
Name of Commission Agent:-M/S Rachna Enterprises Parwanoo		
03/05/2013	5240/-	44/2348 dtd. 31/05/2013
29/06/2013	4967/-	29/2381 dtd.22/07/2013
14/09/13 to 25/09/13	6477/-	33/2474 dtd.16/11/2013
15/01/14 to 25/02/14	4777/-	04/2478 dtd.11/03/2014
18/04/2014	4616/-	21/2463 dtd.26/05/2013
04/05/14 to 06/05/14	5341/-	45/2463 dtd.17/06/2014
18/07/2014	4945/-	23/2465 dtd.07/08/2014
22/08/2014	4475/-	78/2465 dtd.09/09/2014
08/09/2014	1113/-	168308 dtd.09/10/2014

Name of Commission Agent:-M/S Anuj Agecies Parwanoo		
01/07/13 to 31/07/13	16246/-	71/2381dtd. 21/08/2013
01/08/13 to 31/08/13	28897/-	92/2478 dtd.23/09/2013
04/02/14 to 11/02/14	6636/-	97/2460 dtd.15/05/2014
01/03/14 to 30/04/14	5830/-	10/2463 dtd.19/05/2014
Name of Commission Agent:-M/S Gujrat Co-Op milk Fed. Parwanoo		
01/04/14 to 30/04/14	312395/-	10/2463 dtd. 19/05/2014
01/05/14 to 31/05/14	327555/-	61/2463 dtd.25/06/2014
01/06/14 to 30/06/14	377325/-	01/2465 dtd.18/07/2014
01/07/14 to 31/07/14	312910/-	55/2465 dtd.25/08/2014
01/08/14 to 31/08/14	219180/-	95/2465 dtd.23/09/2014
01/09/14 to 30/09/14	293180/-	168324 dtd.27/10/2014
01/10/14 to 31/10/14	324280/-	168359 dtd.17/11/2014
01/11/14 to 30/11/14	369280/-	23/2468 dtd.24/12/2014
01/12/14 to 31/12/14	321120/-	46/2468 dtd.17/01/2015
01/01/15 to 31/01/15	282900/-	98/2468 dtd.24/02/2015
01/02/15 to 28/02/15	299360/-	259738 dtd.18/03/2015
Name of Commission Agent:-M/S Sansar Chand & Sons TM Parwanoo.		
21/07/15 to 28/07/15	3619/-	244155 dtd.13/08/15
Name of Commission Agent:-M/S SDFC, TM, Parwanoo		
21/07/15 to 30/07/15	4623/-	244155 dtd. 13/08/2015
18/08/15 to 31/08/15	12025/-	244364 dtd.16/09/2015
Name of Commission Agent:-M/S Mahadev Fruit Coy. Shop.No.51, Solan		
30/07/14 to 19/08/14	47502/-	0020962 dtd.05/09/2014
26/08/14 to 07/10/14	134831/-	168664 dtd.21/10/2014
11/10/14 to 31/10/14	13684/-	36205 dtd. 17/03/2015
20/08/15 to 31/10/15	130687/-	295620 dtd. 30/03/2016

{अधियाचना संख्यां:3 दिनांक 11/07/17, 18 दिनांक 12/03/18, 23 दिनांक 24.03.18}

12 मण्डी शुल्क की जाँच हेतु सम्बन्धित अभिलेख "Q" फार्म प्रस्तुत न करना:-

मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की जाँच के दौरान अंकेक्षण द्वारा लिखित व् मौखिक रूप से अनुरोध के बावजूद भी उपरोक्त पैरा तथा निम्नतालिका में दर्शाए गए कारोबारियों/कमीशन एजेंटो

द्वारा उनके सामने दर्शायी गई अवधि से सम्बन्धित **"Q"** फार्म अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए उक्त अभिलेख के आभाव में उक्त कारोबारियों द्वारा देय/प्राप्त मण्डी शुल्क की सत्यापना नहीं की जा सकी | अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

Sr. No.	Name of Commission Agent	Period of sale /purchase for which "Q" form not produced	Amount of market fees realized as per "O" forms
1	M/S Mahadev Fruit Company shop No.51, Solan	01.04.14 to 10.10.17	7,45,624/-

{अधियाचना संख्यां: 23 दिनांक 24.03.18}

13 मण्डी शुल्क के निर्धारण हेतु वार्षिक लेखे प्रस्तुत न करना:-

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवम औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 37 के अनुसार प्रत्येक कारोबारी को वर्ष के अन्त में, वर्ष के दौरान किये गए कारोबार से सम्बन्धित वार्षिक लेखे देय मण्डी शुल्क के निर्धारण (Assessment) हेतु मण्डी समिति को प्रस्तुत करने वांछित है ताकि मण्डी समिति अपने स्तर पर मण्डी शुल्क की बकाया राशि, जुर्माना राशि तथा अन्य किसी लेनदारी का आकलन कर सके, परन्तु उपरोक्त **पैरा संख्या: 10 व् 11** में दर्शाए गए कारोबारियों से सम्बन्धित उक्त अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए समस्त अभिलेखों को अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

(ख) विभिन्न फर्मों से मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की पड़ताल के करने पर पाया गया कि मण्डी शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख का नियमानुसार सही ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा है| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **"ओ"**o फार्म में कई जगह कटिंग तथा ओवररायटिंग की गई थी| कई फर्मो में सम्बन्धित कॉलम में **रेट, वजन तथा मात्रा** से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण नहीं भरे गए थे जिसकी वजह से मण्डी शुल्क की दर्शायी गई राशि की सत्यता बारे पड़ताल नहीं की जा सकी जोकि अनुचित तथा अनियमित है| अतः सम्बन्धित कारोबारियों को उक्त बारे आवश्यक दिशा निर्देश जारी करके भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाना सुनिश्चित किया जाए|

{अधियाचना संख्यां:3 दिनांक 11/07/17 तथा 18 दिनांक 12/03/18}

14 मण्डी शुल्क की गलत गणना के कारण ₹468 कम वसूली:-

M/S Thakur Enterprises Floor Mills Barotiwala, Nalagarh से मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की जाँच के दौरान पाया गया की उक्त फर्म के O तथा M फार्म में मण्डी शुल्क की गलत गणना करने के कारण निम्नतालिकानुसार ₹468 की कम वसूली की गई है जिस बारे जाँच करके स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कम वसूल की गई आय की राशि की उक्त फर्म से दण्ड ब्याज सहित वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए

Date	Weight Kg.	Rate Rs.	Actual Amount of sale (Rs.)	Market Fees Realized On (₹)	Difference On which MF not realized (₹)	Market Fees less Realized (₹)	Page Number
03.09.09	245	11.20	2744/-	2244/-	500/-	5/-	67
14.09.09	674	11.00	7414/-	7114/-	300/-	3/-	67
20.01.10	819	12.70	10401/-	10104/-	297/-	3/-	72
27.02.10	277	12.70	3518/-	3118/-	400/-	4/-	73
03.03.10	2125	12.80	27200/-	21378/-	5822/-	58/-	74
12.04.12	2133	12.40	26449/-	25596/-	853/-	9/-	105
05/2012	---	---	558741/-	549565/-	9176/-	92/-	116
29.07.12	2995	12.60	37737/-	32697/-	5040/-	50/-	119
04.08.13	3985	14.50	57783/-	56478/-	1305/-	13/-	135
27.10.13	2710	14.60	39566/-	27246/-	12320/-	123/-	138
25.12.13	15405	14.70	226453/-	215670/-	10783/-	108/-	139
		Total				468/-	

{अधियाचना संख्या:3 दिनांक 11.07.2017}

15 नियमों का उल्लंघन कर टैक्सी भाडे के रूप में ₹0.53 लाख का अनियमित भुगतान:-

प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के पत्र संख्यां एच०एम०बी०(ओ०एस०)2-13/96-4-11840 दिनांक 06/03/2017 के अनुसार सचिव, कृषि उपज विपणन समिति सोलन को ई-नेम का नोडल अधिकारी नियुक्त करने के उपरान्त प्रदेश में ई-नेम से जुडी 19 मण्डियों के निरीक्षण करने हेतु दिनांक 01/03/17 से 31/05/17 के दौरान टैक्सी को उपायुक्त सोलन द्वारा निर्धारित दरों या उससे कम किराया दरों पर समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त टैक्सी किराए पर लेने की स्वीकृति प्रदान की गई थी| परन्तु निम्न

तालिका में दर्शाए गए टैक्सी के बिलों के अंकेक्षण में दौरान पाया गया कि उक्त भुगतान से सम्बन्धित यात्राएं स्वीकृत अवधि से सम्बन्धित नहीं थी| इसके अतिरिक्त जो यात्रायें 01/03/17 से 31/05/17 के दौरान भी की गई थी वो भी प्रदेश की विभिन्न मंडियों के निरीक्षण से सम्बन्धित न होकर केवल सोलन लोकल एरिया से सम्बन्धित थी जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सोलन लोकल में ई-नेम की किस प्रकार की गतिविधियों के लिए टैक्सी किराए पर ली गई थी| उपरोक्त वर्णित यात्राओं का ब्यौरा निम्नानुसार है;

क्रमांक	बिल नं	दिनांक	टैक्सी उपयोग करने की तिथियाँ	राशि (₹)
1	352	22.08.17	31.01.17, 6 तथा 7.02.17	6170/-
2	353	22.08.17	6,7,8,11,17,18,21 तथा 23.01.17	20814/-
3	355	22.08.17	29.01.17, 13, 25 तथा 28.02.17	11009/-
4	467	07.10.17	12 तथा 18.06.2017	3968/-
5	541	17.11.17	20.06.17, 10,11, तथा 12.07.17	9428/-
6	652	22.12.17	02.06.2017	1744/-
			कुल	**53133/-**

अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन यात्राओं को या तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:01 दिनांक 23.05.2017}

16 औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना रेस्ट हाउस की सफाई के कार्य पर ₹0.16 लाख का अनियमित भुगतान:-

बिल संख्यां 167, 168, दिनांक 05.06.17, 209 दिनांक 20.06.17 तथा 260 दिनांक 10.07.17 द्वारा क्रमशः ₹1024, ₹1575, ₹6500 तथा ₹6500 **कुल ₹15599** का भुगतान **श्री दीपक कुमार तथा श्री संजीव कुमार** को APMC, अतिथि गृह सोलन की सफाई हेतु किया गया| उक्त बिलों के अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त कार्य को करवाने से पूर्व न तो नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण की गई थी और न ही उक्त बारे प्रशासनिक अनुमोदन व् सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई थी| उपरोक्त बिल संख्यां 167, 168 को अंकेक्षण आपत्ति के साथ वापिस किया गया परन्तु बिलों को उक्त बारे कोई भी कार्यवाही किये बिना ही अंकेक्षण में

पुनः पारित करने हेतु इस टिप्पणी के साथ प्रस्तुत किया गया कि मण्डी समिति में कर्मचारियों के नियमितीकरण से स्टाफ की कमी हो जाने के कारण सफाई का कार्य पत्र संख्यां:A-SMC-2-269 & 270 दिनांक 12.05.2017 द्वारा श्री दीपक कुमार तथा श्री संजीव कुमार को 26.25 प्रति घन्टे की दर से दिया गया जोकि संतोषजनक नहीं है। अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए किये गए व्यय के सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके नियमित किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां: 02 दिनांक 05.07.2017}

17 बजट प्रावधान के बिना ₹6.10 लाख का अनियमित व्यय करने बारे:-

मण्डी समिति द्वारा निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गए बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वितीय वर्ष 2017-18 के बजट में उक्त निर्माण कार्यों/ व्यय हेतु कोई भी बजट प्रावधान नहीं था| यह तथ्य अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति के ध्यान में लाया गया था तथा उनके द्वारा उक्त व्यय/कार्यों के कार्यान्वियन हेतु सक्षम प्राधिकारी से बजट प्रावधान करवाने हेतु कहा गया था परन्तु ये बिल अंकेक्षण के समक्ष इस टिपण्णी के साथ प्रस्तुत किये गए की उक्त भुगतान तुरन्त किया जाना आवश्यक है तथा इन कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी से बजट अनुमोदित करवा लिया जायेगा तथा भुगतान की आवश्यकता को देखते हुए बिलों को अंकेक्षण में इस शर्त के साथ पारित किया गया था कि सक्षम प्राधिकारी से इन कार्यों हेतु बजट आबंटित करवा लिया जाए परन्तु अभी तक इस बारे की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया| अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे में की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए|

क्रमांक	अंकेक्षण अधियाचना संख्या/दिनांक	बिल संख्यां/ दिनांक	व्यय की राशि	कार्य/व्यय का विवरण
1	**04/02.08.17**	275/15.07.17	63000/-	c/o check Post at, at TM Parwanoo
2	**05/03.08.17**	165/05.06.17	142832/-	Conversion of Set No.7 of Rest House into Residential accomodation
3	**16/01.01.18**	613/12.12.17	403800/-	P/L separate 25mm dia water supply line from EWS Block to Terminal Market , Apple Mandi Parwanoo.
		Total:	**609632/-**	

18 तकनीकी स्वींकृति तथा बजट प्रावधान के बिना निर्माण कार्य पर ₹20.08 लाख का अनियमित व्यय:-

बिल संख्यां 166 दिनांक 05.06.2017 द्वारा **₹6,10,033** की राशि निर्माण कार्य "Construction of temporary shops at sub market yard Vaknaghat Distt. Solan" हेतु अग्रिम के रूप में आहरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया, जबकि उक्त कार्य हेतु ₹13,98,072 प्रबन्ध निदेशक विपणन बोर्ड को दिनांक 19.08.2016 को पहले ही दी जा चुकी थी, इस प्रकार उक्त कार्य हेतु विपणन बोर्ड को इस राशि सहित कुल **₹20,08,105** का भुगतान कर दिया गया था जबकि उक्त कार्य हेतु केवल **₹17,16,400** की तकनीकी स्वीकृति ही प्राप्त थी|

इसके अतिरिक्त पत्र संख्यां HMB-1-8/76/Vol-8/02 दिनांक 05.04.2017 द्वारा वितीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुमोदित बजट में उक्त कार्य हेतु कोई बजट प्रावधान भी नहीं था| उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण आपत्ति दर्ज करके स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया परन्तु बिल को इस प्रतिउतर के साथ पुनः प्रस्तुत किया गया कि उक्त कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी से राशि आबंटित करवा ली जाएगी, क्योंकि कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है इसलिए संशोधित तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है|

अतः उपरोक्त निर्माण कार्य की बढ़ी हुई निर्माण लागत के लिए सक्षम प्राधिकारी से संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा उक्त कार्य पर खर्च हुई कुल राशि के लिए सक्षम प्राधिकारी से बजट आबंटित करवाना सुनिचित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:06 दिनांक 03.08.2017}

19 सहायक नीलामी कर्ता के स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों के वेतन का अनियमित आहरण/भुगतान:-

प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड शिमला की अधिसूचना संख्यां:HMB-(B)6-1/97/Vol-V-11874-11887 दिनांक 7 मार्च 2017 के अनुसार कृषि उपज विपणन समिति सोलन के कार्यालय तथा विभिन्न मार्केट यार्डों हेतु सहायक नीलामी कर्ता के कुल 6 पद स्वीकृत थे| अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मार्च, 2017 से पूर्व इन स्वीकृत पदों की संख्या 5 थी। वेतन बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मार्च, 2017 से पूर्व सहायक नीलामी कर्ता के 5 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 6 तथा मार्च माह के बाद 6 स्वीकृत पदों के

विरुद्ध 9 सहायक नीलामी कर्ताओं के वेतन का आहरण/भुगतान किया गया था| अंकेक्षण द्वारा जब इस अनियमितता बारे अंकेक्षण आपति दर्ज करके पूछा गया तो मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस बारे कोई संतोषजनक उत्तर न देकर यह सूचित किया गया कि स्वीकृत पदों से अधिक/अतिरिक्त कर्मचारियों को स्वीकृत पदों के विरूद्ध नहीं रखा गया है तथा वेतन बिलों को पारित करने हेतु दबाव डाला गया| कर्मचारियों के वेतन का मण्डी समिति का समयवध दायित्व होने के कारण इस आशय के साथ सशर्त पारित किया गया कि उक्त अनियमितता बारे या तो उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए अन्यथा इन अतिरिक्त पदों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से सृजित/स्वीकृत करवाया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए|

मण्डी समिति सोलन में तैनात सहायक नीलामीकर्ताओं का ब्यौरा			
क्रमांक	**कर्मचारी का नाम**	**नियमित/अनुबन्ध**	**तैनाती की तिथि**
1	श्री ब्यास देव	नियमित	11.07.2014
2	श्री हेम राज	नियमित	11.07.2014
3	श्री कुलवंत सिंह	नियमित	13.05.2015
4	श्री सत पाल	नियमित	23.03.2017
5	श्री घन श्याम	नियमित	10.03.2017
6	श्री संदीप कुमार	अनुबन्ध	19.04.2016
7	श्री गंगा राम	अनुबन्ध	26.05.2016
8	श्री यशवन्त	अनुबन्ध	26.05.2016
9	श्री कमल किशोर	दैनिक भोगी	23.06.2017

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:07 दिनांक 09.08.2017}

20 प्रशासनिक अनुमोदन तथा बजट प्रावधान के बिना ही अग्रिम के रूप में ₹13.57 लाख का आहरण/भुगतान :-

बिल संख्यां 346 दिनांक 19.08.17 ₹13,57,145 निर्माण कार्य “Shifting of 11 KV feeders (Nalagarh, Khera 1 & khera II & G Claridge) passing over the Mandi Board Building near HPSEBL Colony Under Electrical Sub Division HPSEBL No.I Nalagarh” हेतु आहरण एवम वितरण अधिकारी APMC, सोलन के नाम

अग्रिम के रूप में आहरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया| अंकेक्षण में पाया गया कि इस कार्य हेतु न तो वर्ष 2017-18 के बजट में राशि का प्रावधान रखा गया था और न ही कार्य को करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन व् खर्च की स्वीकृति प्राप्त की गई थी| उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण को पत्र संख्यां A/SMC/Nalagarh-986 दिनांक 21.08.2017 द्वारा वांछित अभिलेख बाद में दर्शाने का आश्वासन देते हुए उक्त बिल को पारित करने बारे आग्रह किया गया| बिल को उपरोक्त अंकेक्षण आपतियों की अनुपालना किये जाने के मध्यनजर सशर्त पारित कर दिया गया परन्तु अभी तक आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई । अतः उक्त कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन व् खर्च की स्वीकृति तथा उपरोक्त राशि का बजट प्रावधान प्राप्त करके अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:09 दिनांक 22.08.2017}

21 शासकीय डाक टिकटों के अभिलेख का सही ढंग से रख-रखाव न करना:-

शासकीय डाक टिकटों के अवधि 04.03.2014 से 19.11.2015 के लेखों/अभिलेख की जाँच के दौरान निम्नलिखित आपतियां पाई गई;

(क) पंजीकृत डाक टिकटों की रसीदों का न पाया जाना:-

निम्न तालिका में दर्शाए गए प्रकरणों में कार्यालय डाक को पंजीकृत माध्यम से दर्शाया गया था परन्तु पंजीकृत डाक से सम्बन्धित रसीदें अभिलेख में नहीं पाई गई जोकि अनियमित है जिनकी अनुपस्थिति में उक्त डाक को भेजने हेतु उपयोग की गई डाक टिकटों का मूल्य सही था अथवा नहीं इस बारे आकलन नहीं किया जा सका|

क्रमांक	दिनांक	प्रेषण रजिस्टर पृष्ठ संख्यां	प्रेषण संख्यां	उपयोग दर्शायी गई डाक टिकटों का मूल्य	टिपण्णी
1	25.03.14	15	602	32/-	डाक विभाग द्वारा जारी की गई पंजीकृत डाक रसीदें संलग्न नहीं की गई थी|
2	29.03.14	18	634-636	27/-	
3	26.06.15	71	2276	27/-	
4	09.11.15	188	3524	22/-	

अतः उपरोक्त डाक प्रेषण से सम्बन्धित रसीदें प्रेषण संख्यां के साथ संलग्न किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाए|

(ख) शासकीय डाक टिकटों के खर्च का विवरण तैयार न करना:-

लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत किये गए अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि शासकीय डाक टिकटों के अभिलेख का रख-रखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है| क्रय की गई डाक टिकटें उसमे से खर्च की गई तथा शेष बची डाक टिकटों का ब्यौरा नियमानुसार नहीं रखा जा रहा है जोकि अनियमित है जिससे सम्बन्धित कुछ उदाहरण निम्न तालिका में दिए गए है;

क्रमांक	दिनांक	प्रेषण रजिस्टर पृष्ठ संख्यां	क्रय की गई डाक टिकटों का मूल्य	अंकेक्षण की गणनानुसार खर्च की गई डाक टिकटों का मूल्य
1	25.02.14 से 29.05.14	194	1900/-	1976/-
2	29.05.14 से 03.09.14	59	2000/-	2024/-
3	03.09.14 से 29.11.14	142	2000/-	2009/-

अतः उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि डाक टिकटों की क्रय की गई मात्रा के अनुपात में खर्चा अधिक हो रहा है जो सामान्यतः सम्भव नहीं है जिस बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करते हुए शासकीय डाक टिकटों के खर्च व् उसके शेष की सही गणना करके उसके सत्यापन के उपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

(ग) दैनिक स्तर पर डाक टिकटों का शेष न निकलना:-

अवधि 04.03.2014 से 19,11.2015 के दौरान डाक प्रेषण/शासकीय डाक टिकटों के खर्च से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि दैनिक स्तर पर खर्च व् शेष बची शासकीय डाक टिकटों की गणना या तो नहीं की जा रही थी या फिर गलत की जा रही थी तथा न ही उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिससे सम्बन्धित कुछ उदाहरण निम्न तालिका में दिए गए हैं;

क्रमांक	दिनांक	डाक टिकटों का पिछला शेष	खर्च दर्शायी गई डाक टिकटों का मूल्य	शेष दर्शायी गई डाक टिकटों का मूल्य	डाक टिकटों का वास्तविक शेष
1.	27.02.15	1064/-	118/-	919/-	946/-
2.	23.03.15	413/-	30/-	410/-	383/-
3.	07.04.15	44/-	67/-	नहीं दर्शाया गया	(-) 23/-

4.	08.04.15	शून्य	10/-	नहीं दर्शाया गया	------
5.	10.04.15	शून्य	19/-	नहीं दर्शाया गया	------
6.	13.04.15	शून्य	35/-	नहीं दर्शाया गया	------
7.	17.04.15	शून्य	10/-	नहीं दर्शाया गया	------
8.	27.04.15	1884/-	29/-	1860/-	1855/-
9.	30.04.15 से 09.06.15	1755/-	1761/-	नहीं दर्शाया गया	------
10.	10.07.15	शून्य	20/-	नहीं दर्शाया गया	------
11.	16.07.15	शून्य	20/-	नहीं दर्शाया गया	------
12.	04.09.15	767/-	87/-	702/-	680/-
13.	08.10.15	53/-	25/-	53/-	28/-
14.	12.10.15 से 14.10.15	28/-	64/-	नहीं दर्शाया गया	(-)36/-
15.	17.10.15	1893/-	154/-	1761/-	1739/-
नोट:- उपरोक्त अवधि में अभिलेख को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।					

अतः उपरोक्त से यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है की शासकीय डाक टिकटों के रख-रखाव में कार्यालय नियमावली के नियम 9.46 का पूर्णतः उलंघन किया जा रहा है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, साथ ही उपरोक्त अवधि का शासकीय डाक टिकटों का सही अभिलेख तैयार करके लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए तथा दिनांक 19.11.2015 के बाद के प्रेषण अधिलेख को सही ढंग से तैयार करके तथा उसे प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित करवाने के उपरान्त अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:09 दिनांक 13.09.2017}

22 (क) बिजली के बिलों पर विलम्ब शुल्क का सम्भावित अनियमित भुगतान:-

बिल संख्यां 417 दिनांक 18.09.17 ₹45,499 तथा 431 दिनांक 23.09.17 ₹116955 के अकेक्षण में पाया गया कि उक्त बिल में बिजली के मीटर संख्या M(C)C-9 जोकि

अवधि 01.08.17 से 01.09.17 ₹103130 की बिल राशि में ₹37786 पिछली बकाया राशि जोड़ी गई थी इसी प्रकार मीटर नंबर HMC2000012 अवधि 03/2017 से 09/2017 कुल बिल राशि ₹22,461 में ₹9295 की बकाया राशि जोड़ी गई थी| बिल में जोड़ी गई बकाया राशि पिछले बिलों का समय पर भुगतान न करने के कारण समिलित की गई प्रतीत होती है जिसमे बिल का देरी से भुगतान करने के लिए बिजली विभाग द्वारा विलम्ब शुल्क/पेनल्टी की राशि सम्मिलित होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता| अतः उक्त बारे सम्बन्धित विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए तथा यदि बकाया राशि में विलम्ब शुल्क/पेनल्टी की राशि सम्मिलित पाई जाती है तो उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डी समिति के कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए|

(ख) बिजली के बिल में अनावश्यक वृद्धि करके सम्बन्धित विभाग को ₹950 का सम्भावित अधिक भुगतान:-

बिजली मीटर संख्यां SB32000058 तथा SB32000059 दिनांक 16.09.17 में क्रमशः ₹2274 तथा ₹12,136 प्रचलित प्रभार {Current Charges} दर्शाए गए थे परन्तु पिछली बकाया को जोड़े बिना दोनों मीटरों के लिए देय तिथि से पूर्व क्रमशः ₹2758 तथा ₹12602 के बिल की मांग की गई थी, जिससे मीटर नम्बर SB32000058 पर ₹484 तथा मीटर नम्बर SB32000059 पर ₹466 की अनावश्यक अधिक मांग की गई प्रतीत होती है जिस बारे सम्बन्धित विभाग से उचित स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए, यदि अधिक भुगतान पाया गया तो अधिक भुगतान की गई राशि को आगामी बिलों में समायोजित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए|

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:10 दिनांक 28.09.2017}

23 टी०डी०एस०/टी०सी०एस० फार्म नं० 24 क्यू व् 26 क्यू को देरी से जमा करने के कारण आयकर विभाग को विलम्ब शुल्क के रूप में ₹16800 का अनियमित भुगतान:-

बिल संख्यां 430 दिनांक 22/09/2017 ₹16800 के अंकेक्षण में पाया गया की उक्त राशि टी०डी०एस०/टी०सी०एस० फार्म नं० 24 क्यू व् 26 क्यू को देरी से जमा करने के कारण आयकर विभाग को नियम 234 ई० के अंतर्गत विलम्ब शुल्क के रूप में उद्धिहित की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश वितीय नियमावली 1971 खण्ड-1 के नियम 2.10, 2.31, 2.34 व् 8.25 के

अनुसार यदि किसी प्रकार की लापवाही के कारण सार्वजनिक कोष को हानि होती है तो इस प्रकार के अनुचित भुगतान हेतु सम्बन्धित कर्मचारी स्वयं उतरदायी होगा| अतः उक्त विलम्ब शुल्क की राशि को नियमानुसार उचित स्त्रोत से वसूली करके आयकर विभाग में जमा करने बारे कहा गया था परन्तु उक्त बिल को इस उतर के साथ पुनः पारित करने हेतु प्रस्तुत किया गया कि मण्डी समिति में कार्यरत लेखाकार के स्थानान्तरण हो जाने के कारण टी०डी०एस०/टी०सी०एस० फार्म नं० 24 क्यू व् 26 क्यू को जमा/फाईल करने में देरी हुई है जिस कारण यह पेनेल्टी APMC कोष से ही चार्ज की जानी है तथा सम्बन्धित विभाग को जमा करवाई जानी अनिवार्य है| उक्त बिल को APMC का समयवध दायित्व होने के कारण इस आशय के साथ सशर्त पारित किया गया कि विलम्ब शुल्क की भुगतान की गई राशि को हिमाचल प्रदेश वितीय नियमावली 1971 खण्ड-1 के नियम 2.10, 2.31, 2.34 व् 8.25 के नियमानुसार अनुसार अब उचित स्त्रोत से वसूली करके APMC कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए ।

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:12 दिनांक 04.10.2017}

24 किसान विश्राम गृह सोलन से प्राप्त आय में पाई गई विभिन्न अनियमितताएं/विसंगतियां:-

किसान विश्राम गृह सोलन की अवधि 01/2014 से 03/2017 से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण/जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(क) ₹113600 की आय की कम वसूली करना:-

अभिलेख की जांच में पाया गया कि विश्राम गृह में ठहरने आये आगंतुकों से निम्नानुसार ₹113600 की आय कम वसूली की गई है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके APMC कोष में जमा करना सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा इस चूक की भविष्य में पुनरावृति न हो इस बारे सम्बन्धित को उचित दिशा निर्देश जारी किये जाएँ|

दिनांक	आगंतुक पंजिका क्रम संख्या	कमरा नम्बर	आगंतुक का विवरण	नियमानुसार वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	कम वसूल की गई राशि
09.01.14	781	2	------	320	80	240

27.04.14 to 01.05.14	897	3 Rooms	Election duty	1200	------	1200
29.04.14 to 01.05.14	899	5,6,7	Election duty	720	------	720
30.04.14	901	1,8	Election duty	160	------	160
04.05.14 to 07.05.14	902	3,4,5	Govt. Employee	960	------	960
15.05.14	906-907	7,8	Govt. Employee	160	------	160
15.05.14	908	1,6	Election duty	160	------	160
03.07.14	979	5	------	480	320	160
03.03.15	1478	8	Gagan Chauhan Advocate	320	80	240
23.06.16	672	1	Police Official Mela Duty	80	------	80
24.06.16	675	2	Police Official Mela Duty	80	------	80
24.06.16	676	1	Police Official Mela Duty	80	------	80
24.06.16	677-678	4,5	Khadi deptt.	160	------	160
25.06.16	679	------	V S Thakur, Mela duty	80	------	80
25.06.16	680	2	Mela duty	480	------	480
25.06.16	680-681	3,5	Khadi deptt.	160	------	160
26.06.16	682	------	V S Thakur, Mela duty	80	------	80
26.06.16	683	2	State CID Mela Duty	80	------	80
26.06.16	684-685	3,5	Khadi deptt.	160	------	160
10.12.16	975	------	Solan BJP	320	------	320

11.05.15 to 16.05.15	11132	D1 to D2	Puri Sir Coach Solan	3200	------	3200
10.07.15 to 02.11.15	11289	D3	Himchal Pradesh Police	92800	------	92800
10.07.15 to 15.08.15	11289	D2	Himchal Pradesh Police	11840	------	11840
Total						**113600/-**

(ख) प्राप्त आय ₹29800 को APMC कोष में देरी से जमा करना:-

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि किसान विश्राम गृह की दिनांक 28.11.16 से 12.01.2017 के दौरान कुल ₹30,720 की आय को रसीद संख्या 007/020 व् 007/021 द्वारा दिनांक 12.01.2017 को APMC कोष में जमा करवाया गया| उक्त राशि में से ₹920 की आय 12.01/2017 की थी, जबकि शेष ₹29800 की आय दिनांक 28.11.16 से 11.01.2017 से सम्बन्धित थी जिसे APMC कोष में लगभग 1-45 दिनों के विलम्भ से जमा करवाया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश वितीय नियमावली 1971 खण्ड-1 के नियम 2.1(बी) व् 2.2(ii) की पूर्णतः अवहेलना होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार कार्य करने बारे आवश्यक दिशा निर्देश जारी करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए|

(ग) विश्राम गृह से प्राप्त हो रही आय में निरन्तर कमी बारे:-

विश्राम गृह से प्राप्त आय के अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2016 -17 में पिछले वर्षों की तुलना मे कम आय प्राप्त हुई है| किसान विश्राम गृह की पिछले तीन वर्षों की आय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

माह	आय		
	2014-15	**2015-16**	**2016-17**
जून	44680	22440	18720
जुलाई	43360	43560	42080
अगस्त	59690	59880	36960
सितम्बर	53600	41040	18800

नवम्बर	25440	12120	18920
दिसम्बर	15720	15800	Zero
फरबरी	15920	25160	10600
मार्च	20880	16480	11520
कुल	**279290**	**236480**	**157600**

अतः उपरोक्तानुसार किसान विश्राम गृह की आय में हो रही निरन्तर कमी चिंतनीय तथा गम्भीर विषय है, जिसे सचिव APMC, सोलन के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है की आय में आ रही निरन्तर गिरावट के कारणों बारे अपने स्तर पर जाँच करके पता लाया जाए तथा नियमानुसार उचित कार्यवाही करते हुए उक्त संसाधन से प्राप्त होने वाली आय को बढ़ाने बारे प्रयास किये जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(घ) विश्राम गृह आगुन्तक पंजिका का सही ढंग से अनुरक्षण न करना:-

अंकेक्षण में पाया गया कि किसान विश्राम गृह में ठहरने आये आगुन्तको से सम्बन्धित अभिलेख/आगुन्तक पंजिका पुस्तिका का सही ढंग से रख रखाव नहीं किया गया/जा रहा था| विश्राम गृह आगुन्तक पंजिक्का में आगुन्तको के आने-जाने की तिथि, आबंटित किया गया कमरा नंबर, आगुन्तक का पूर्ण विवरण इत्यादि आवश्यक सूचना को आगुन्तक पंजिक्का में सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया था जिस कारण विश्राम गृह से प्राप्त आय की राशि की सत्यता बारे पुष्टि नहीं की जा सकी| उक्त अनियमितता से सम्बन्धित कुछ उदाहरण निम्नतालिका में दर्शाए गए है|

दिनांक	आगुन्तक पंजिका पृष्ठ/क्रम संख्यां	आगुन्तक का विवरण	वसूल की गई राशि	टिप्पणी
25.11.15	692	उपायुक्त सोलन	------	डी 3 की बुकिंग दर्शायी गई है परन्तु बुकिंग की अन्तिम तिथि अंकित नहीं है
30.09.16	906	तरुण कुमार	320	आबंटित कमरा नम्बर दर्ज नहीं है|
01.10.16	907	श्री रजनीश	320	-----यथोपरी------
01.10.16	908	श्री विकास	320	-----यथोपरी------
02.10.16	909	श्री दीप राम	320	-----यथोपरी------

02.10.16	910	रामेश्वर सिंह	320	-----यथोपरी------
03.10.16	911	श्री अन्कु	320	-----यथोपरी------
30.01.17	1036	राजू चौहान	320	-----यथोपरी------
31.01.17	1037	राजीव कुमार	320	-----यथोपरी------
13.12.16	976	------	------	जाने की तिथि दर्ज नहीं है|
15.12.16	977	------	------	-----यथोपरी------
17.12.16	978	------	------	-----यथोपरी------
17.12.16	979	------	------	-----यथोपरी------

उपरोक्त के अतिरिक्त अभिलेख में निम्नलिखित अनियमितताए भी पाई गई;

(1). आगुन्तक पंजिकाओं को इन्वेन्ट्री रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया/जा रहा है|

(2). आगुन्तक पंजिकाओं पर कुल पृष्ठों की संख्यां से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किया गया/जा रहा है|

(3). दिनांक 15.05.2015 से शुरू की गई आगुन्तक पुस्तिका के क्रम संख्यां 994 पर दो आगुन्तकों का आना दर्ज किया गया है जबकि केवल एक आगुन्तक की वसूली की गई है|

(4). दिनांक 08.03.2015 को क्रम संख्यां 11445 पर श्री मंजीत कुमार नामक आगुन्तक को डी 2 में 4 बिस्तरों का आबंटन करके ₹160 की वसूली राशि दर्ज करने के उपरान्त उसे काटकर 2 बिस्तर व् ₹80 दर्ज किये गए जबकि की गई कटिंग को सक्षम द्वारा से सत्यापित नहीं करवाया गया था जिस कारण वास्तविक आबंटन की पड़ताल करनी संभव नहीं हो सकी|

(5). दिनांक 25.11.2015 को क्रम संख्यां 692 पर उपायुक्त सोलन के नाम से डी 3 को बुक किया गया दर्शाया गया है परन्तु यह बुकिंग किस तिथि तक की गई थी तथा इस बुकिंग की एवज में किसान विश्राम गृह को कितनी आय प्राप्त हुई इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी दर्ज नहीं है जिसके अभाव में बुकिंग व् आय की सही स्थिति बारे आकलन नहीं किया जा सका|

(6). क्रम संख्यां 713 पर दिनांक 7 व 08.12.2015 को रिक्त छोड़ा गया है | उक्त रिक्ति किस कारण से छोड़ी गई अंकेक्षण के दौरान इस बारे स्पष्ट नहीं किया गया|

अतः अभिलेख का रख रखाव सही ढंग से न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त अभिलेख को सही करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में अभिलेख का नियमानुसार अनुरक्षण करना भी सुनिश्चित किया जाए|

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:13 दिनांक 10.10.2017}

25 कृषि उपज विपणन समिति निधि से Boarding/Loadging charges के रूप में ₹0.58 लाख का अनुचित/अनियमित भुगतान:-

बिल संख्यां 74 दिनांक 01.05.2017 ₹27,370 जोकि श्री हेमराज पंचदेव, अर्जित दास, शान्जरण अवहद, मोहित, युवराज तथा अमित आनन्द नामक मेहमानों के दिनांक 25.03.2017 से 26.03.2017 तक हिमानी रिजोर्ट सोलन में निवास से सम्बन्धित था| बिल को जाँच उपरान्त आगुन्तकों के सोलन प्रवास से बारे सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी आदेशों की प्रति की मांग बारे अंकेक्षण आपति दर्ज करके वापिस किया गया ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि उपरोक्त आगुन्तक किस विभाग से तथा किस उद्देश्य से मण्डी समिति सोलन आये थे तथा इनके सोलन प्रवास के दौरान का खर्चा किस निधि से वहन किया जाना था| परन्तु मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस इस बारे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किये बिना ही बिल को लेखा परीक्षा में पारित करने हेतु पुनः प्रस्तुत कर दिया गया|

इसी प्रकार बिल संख्यां 75 दिनांक 01.05.2017 ₹30771 जोकि श्री सुनील कुमार व् दिनेश कुमार निदेशक केमिकल्स व् पेट्रो केमिकल विभाग नई दिल्ली से आये आगन्तुकों के अवधि 28.02.17 से 04.03.17 के दौरान हिमानी रिसोर्ट सोलन में ठहराने व् खाने पर आये खर्चों के भुगतान से सम्बन्धित था| उक्त बिल की जाँच में पाया गया कि भारत सरकार के पत्र संख्यां के-11022/2/2017-ए.आर.(3998) दिनांक 27.02.17 के द्वारा उक्त दोनों अधिकारियों को **"Prime Minister Award Excellence in Public Administration"** योजना के अन्तर्गत दिनांक 28.02.17 से 04.03.17 तक मण्डी समिति सोलन की Spot Study हेतु भेजा गया था तथा इसी पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि इन अधिकारियों के प्रवास के दौरान का समस्त खर्चा उसी विभाग द्वारा किया जायेगा जहाँ पर उक्त अधिकारी कार्यरत हैं| परन्तु इन अधिकारियों के **Boarding/Loadging** पर ₹30771 के खर्च का भुगतान मण्डी समिति सोलन के कोष से किया गया है| जिस बारे बिल पर अंकेक्षण आपत्ति दर्ज करके बिल को वापिस किया गया था| उक्त बिल को इस जवाब के साथ लेखा परीक्षा में पुनः प्रस्तुत किया गया कि उक्त भुगतान मण्डी समिति के कर्मचारियों द्वारा अपनी जेब से किया गया है तथा उक्त राशि को सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके मण्डी समिति कोष में जमा करवा दिया जायेगा|

लेखा परीक्षा पर उपरोक्त भुगतानों को पारित करने के लिए दबाव डाले के कारण उक्त बिलों को इस आशय के साथ पारित कर दिया गया था की भुगतान की गई राशि को सम्बन्धित से प्राप्त करके मण्डी समिति कोष में जमा करवा दिया जायेगा परन्तु इस बारे किसी प्रकार की सन्तोषजनक कार्यवाही से अंकेक्षण को अभी तक अवगत नहीं करवाया गया है| इस प्रकार ₹58141 {27370+30771} का व्यय/भुगतान मण्डी समिति कोष पर अनुचित प्रभार है जिसे अब सम्बन्धित/उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डी समिति कोष में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए|

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:15 दिनांक 17.12.2017}

26 राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना के अंतर्गत NIKON-B-500 कैमरा की खरीद पर ₹0.16 लाख का अनियमित व्यय:-

बिल संख्यां 659 दिनांक 04.01.2018 ₹15950 जोकि राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना के अंतर्गत **NIKON-B-500** कैमरा की खरीद से सम्बन्धित था के अंकेक्षण में पाया गया कि प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पत्र संख्यां:HMB(G)2-8/2016-2160 दिनांक 20.06.2017 द्वारा वर्ष 2017-18 के बजट प्रावधान अनुसार सभी ओपचारिक्ताओं को पूर्ण करने के उपरान्त **CANON** का **SLR** कैमरा खरीदने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके विपरीत मण्डी समिति द्वारा सिंगल कुटेशन के आधार पर **NIKON-B-500** कैमरे की खरीद की गई| लेखा परीक्षा द्वारा उक्त बिल को राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान तथा उक्त खरीद से पूर्व पूर्ण की गई औपचारिक्ताओं से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया परन्तु इस सम्बन्ध में न तो कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुआ और न ही वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए|

समयवध दायित्व होने के कारण उक्त बिल को अंकेक्षण में इस आशय के साथ सशर्त पारित किया गया कि राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना के अन्तर्गत **CANON** का **SLR** कैमरे की जगह **NIKON-B-500** कैमरे को खरीदने हेतु बजट प्रावधान, सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति तथा उक्त खरीद हेतु नियमानुसार पूर्ण की गई औपचारिक्ताओं से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए परन्तु अभी तक भी सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए।

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:17 दिनांक 24.01.2018}

27 बजट प्रावधान के बिना सफाई कार्य के लिए ₹7.40 लाख का अनियमित भुगतान:-

प्रबन्ध निदेशक विपणन बोर्ड शिमला के पत्र संख्यां:HMB(B)15-31/2017-1991 दिनांक 13.06.2017 के अनुसार मण्डी समिति सोलन के विभिन्न मार्किट वार्डों की सफाई कार्य का एक वर्ष का ठेका मैसर्ज शिमला क्लीनवेज साहिबु निवास शिमला को आबंटित किया गया था| ठेके से सम्बन्धित सफाई कार्य के बिलों की जांच में पाया गया कि उक्त व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी से बजट में राशि का प्रावधान नहीं करवाया गया था जबकि अवधि 07/2017 से 02/2018 के दौरान उक्त मद पर ₹740353 भुगतान किया जा चुका था| अतः उक्त कार्य पर वितीय वर्ष के दौरान बिना बजट प्रावधान के किया गया भुगतान अनियमित है| अतः उपरोक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से बजट अनुमोदित करवाकर नियमित करवाया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:19 दिनांक 17.03.2018}

28 मण्डी समिति की चक्की का मोड़ स्थित चेक पोस्ट से प्राप्त आय में पाई गई विभिन्न अनियमितताएं:-

कृषि उपज विपणन समिति सोलन के अंतर्गत आने वाली चेक पोस्ट चक्की के मोड़ से अवधि 31.10.15 से 12.10.17 के दौरान प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में निम्न अनियमितताएँ/आपत्तियां पाई गई;

(i) आय से सम्बन्धित रसीदों को गायब कर प्राप्त आय का दुर्विनियोजन/गबन:-

आय के अभिलेख की जाँच में पाया गया कि रसीद संख्यां 200845 तथा 114114 की मूल तथा अनुलिपि प्रति अभिलेख से गायब पाई गई, परिणामस्वरूप इन रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसके चलते उक्त रसीदों से प्राप्त आय के गबन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता| अतः उक्त प्रकरण को इस आशय के साथ उच्च प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है कि मामले की अधिकारिक स्तर पर जाँच करके उक्त रसीदों द्वारा प्राप्त आय की वास्तविक राशि का पता लगाया जाए तदानुसार राशि को मंडी समिति कोष में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(ii) दैनिक प्राप्ति रजिस्टर में प्राप्त आय को ₹1289 को कम जमा करना:-

आय की रसीद बुकों से दैनिक प्राप्ति रजिस्टर के साथ मिलान करने पर निम्नविवरणानुसार ₹1289 को कम जमा पाया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए कम जमा राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डी समिति के कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए|

क्रमांक	रसीद संख्यां व् दिनांक	रसीद के अनुसार प्राप्त राशि	दैनिक रजिस्टर के अनुसार जमा राशि	कम जमा की गई राशि
1	0018151 दिनांक 17.08.2017	270	170	100
2	0018239 दिनांक 18.08.2017	1030	1020	10
3	0131812 दिनांक 06.09.2017	1200	200	1000
4	0119494 दिनांक 20.09.2017	1299	1290	9
5	0119472 दिनांक 19.09.2017	170	------	170
कुल राशि		**3969/-**	**2680/-**	**1289/-**

(iii) मुख्य रोकड़ बही में ₹7273 की आय को कम जमा करना:-

दैनिक प्राप्ति रजिस्टर से मण्डी समिति की मुख्य रोकड़ बही के साथ मिलान करने पर निम्नतालिकानुसार **₹7273** कम जमा पाए गए| मण्डी समिति की आय को समिति के कोष में इस प्रकार कम जमा किया जाना एक गम्भीर वितीय अनियमितता है जिस बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डी समिति कोष में तुरन्त जमा करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

क्रमांक	अवधि	दैनिक प्राप्ति रजिस्टर अनुसार प्राप्त राशि	रोकड़ बही में बैंक विवरण अनुसार जमा राशि	कम जमा राशि
1	07/2016	127571/-	127341/-	230/-
2	08/2016	100600/-	100390/-	210/-
3	09/2016	68877/-	68607/-	270/-

4	20.07.17 to 23.07.17	122331/-	122328/-	3/-
5	29.07.17 to 30.07.17	130166/-	129196/-	970/-
6	02.08.17 to 03.08.17	114799/-	114673/-	126/-
7	07.08.17 to 08.08.17	148413/-	148026/-	387/-
8	09.08.17 to 10.08.17	145245/-	145218/-	27/-
9	11.08.17 to 13.08.17	307519/-	307129/-	390/-
10	16.08.2017	88518/-	88338/-	180/-
11	17.08.17 to 18.08.17	107863/-	107773/-	90/-
12	19.08.17 to 20.08.17	32126/-	32106/-	20/-
13	04.09.17 to 05.09.17	186892/-	186862/-	30/-
14	13.09.17 to 15.09.17	442493/-	442108/-	385/-
15	16.09.17 to 17.09.17	313398/-	313348/-	50/-
16	18.09.17 to 19.09.17	281279/-	280265/-	1014/-
17	20.09.17 to 24.09.17	542102/-	542081/-	21/-
18	28.09.17 to 30.09.17	322134/-	320834/-	1300/-
19	03.10.17 to 05.10.17	345565/-	343995/-	1570/-
			कुल राशि	**7273/-**

(iv) डुप्लीकेट रसीदों का अभिलेख में न पाये जाना:-

निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार रसीदों की डुप्लीकेट प्रति रसीद बुकों से निकाल/फाड़ दी गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है| अतः उक्त बारे अपने स्तर पर छानबीन करके सम्बन्धित के खिलाफ उचित कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

क्रमांक	रसीद संख्यां व् दिनांक	राशि	टिप्पणी
1	0041527 दिनांक 15.09.2017	------	रसीद निरस्त दिखाई गई है परन्तु आहरण एवम वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी|
2	0041528 दिनांक 15.09.2017	1230/-	------
3	0041529 दिनांक 15.09.2017	240/-	------
4	0041530 दिनांक 15.09.2017	1250/-	------

5	0041531 दिनांक 15.09.2017	900/-	------
6	0041532 दिनांक 15.09.2017	975/-	------
7	0119470 दिनांक अंकित नहीं	राशि अंकित नहीं थी	रसीद निरस्त दिखाई गई है परन्तु आहरण एवम वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी

(v) मूल रसीद व् अनुलिपि पर अलग-अलग राशि का अंकित पाया जाना:-

रसीद संख्यां 0119471 दिनांक 19.09.2017 की मूल प्रति पर ₹230 जबकि इसी की अनुलिपि पर (हाथ से) ₹170 की राशि लिखी गई थी| अतः अपने स्तर पर मामले की छानबीन करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(vi) अभिलेख को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित न करवाना:-

चेक पोस्ट चक्की के मोड़ के अवधि 31.10.15 से 12.10.17 के अभिलेख की जाँच में पाया गया कि चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों द्वारा तैयार दैनिक प्राप्ति रजिस्टर/रोकड़ बही में दर्शायी गई प्राप्ति/शेष राशि को मण्डी समिति, सोलन के आहरण तथा वितरण अधिकारी से कभी भी निरीक्षण या सत्यापित नहीं करवाया गया/जा रहा है जोकि अनियमित है क्योंकि उच्च अधिकारी के सत्यापन के बिना एक ही (Single Hand) कर्मचारी द्वारा तैयार किये गए अभिलेख की प्रमाणिकता (Authenticity) नहीं रह जाती| अतः अभिलेख को नियमित रूप से सत्यापित न करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त अभिलेख को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार तैयार अभिलेख को नियमित रूप से सत्यापित करवाना सुनिश्चित किया जाए|

(vii) विविध त्रुटियाँ/अनियमितताएं:-

(क) रसीद संख्यां 0261362 दिनांक 03.10.17 ₹220 की काटी गई है, परन्तु यह राशि किस वस्तु की कितनी मदों के लिये चार्ज की गई है रसीद पर अंकित नहीं किया गया था|

(ख) रसीद संख्यां 0261348 दिनांक 03.10.17 वाहन संख्यां HP-63C-1553 की ₹665 की काटी गई थी| यह राशि सेब के कुल 55 बक्सों के लिए चार्ज की गई थी जोकि प्रति बॉक्स ₹12 की दर से काटी गई| परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त दरों के निर्धारण से सम्बन्धित आदेशों की प्रति अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई|

(ग) रसीद संख्यां 0195217 दिनांक 09.08.17 पर वाहन संख्यां HP-64A-2763 लिखकर निरस्त किया गया परन्तु निरस्त की गई इस रसीद को आहरण एवम वितरण अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाया गया है| इसी प्रकार रसीद संख्यां 0114652 पर ₹1530 अंकित करके उक्त रसीद को निरस्त किया गया, परन्तु इस रसीद पर भी न तो इसे निरस्त करने का कारण लिखा गया और न ही सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाया गया था|

(घ) रसीद संख्यां 0041588 की अनुलिपि बाद में हाथ से लिखी गई प्रतीत होती है जोकि नियमों के विरुद्ध है|

अतः उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:20 दिनांक 20.03.2018}

29 उप मण्डी धर्मपुर में लगे बिजली मीटर संख्यां HMC2000012 के बिल में पाई गई विसंगतियां:-

बिल संख्यां 736 दिनांक 20.02.2018 जोकि बिजली मीटर संख्यां HMC2000012 के अवधि 09/17 से 01/18 के ₹28708 के चार्जेज के भुगतान से सम्बन्धित था की अंकेक्षण सम्बन्धी जांच के दौरान सम्बन्धित बिजली रजिस्टर के पृष्ठ संख्यां 39 के अनुसार इस मीटर का अवधि 03/17 से 09/2017 तक का ₹22461 के चार्जेज का बिल अंकेक्षण द्वारा पहले ही पारित किया चुका था जबकि ₹22461 को अवधि 09/17 से 01/18 के बिल में एरियर के रूप में शामिल किया गया था| अंकेक्षण द्वारा इस बारे टिप्पणी अंकित करके पूछे जाने पर बताया गया की ₹22461 मीटर संख्यां HMC2000012 के खाते में जमा करवाने की बजाय गलती से टर्मिनल मण्डी परवाणू के बिल खाता संख्यां MCC-9 के अवधि 01.08.17 से 01.09.17 के खाते में जमा कर दी गई थी तथा अधिक जमा की गई राशि को विद्युत् विभाग द्वारा समायोजित कर लिया गया है|

उपरोक्त बिल को मण्डी समिति का समयवध दायित्व होने के कारण निम्न अंकेक्षण आप्पतियों/टिप्पणियों के साथ पारित किया गया था:-

(1) ₹22461 के समायोजन से सम्बन्धित जो अभिलेख/कागजात अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए उनमे ₹6500 आर्डर नं 2528059 दिनांक 25.05.17 के अन्तर्गत मीटर रेंट की समायोजित की गई दर्शायी गई है| मीटर रेंट की उक्त राशि से सम्बन्धित विद्युत् विभाग द्वारा जारी किया गया कोई

भी मांग पत्र न तो अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही कार्यालय अभिलेख अनुसार इस प्रकार की कोई राशि विद्युत् विभाग के पक्ष में देय/बकाया थी| अतः मामले की जाँच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा ₹6500 को उचित स्त्रोत से वसूल करके समिति कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए|

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:21 दिनांक 22.03.2018}

30 सरकारी डायरियों की खरीद व् उनके वितरण/अभिलेख में पाई गई विसंगतियों बारे:-

बिल संख्यां 766 दिनांक 07.03.2018 जोकि हिमाचल प्रदेश प्रिंटिंग व् स्टेशनरी डिपार्टमेंट शिमला से ₹6070 की 59 सरकारी डायरियों की खरीद से सम्बन्धित था की जाँच में पाया गया कि डायरियों की उक्त मात्रा की खरीद हेतु मण्डी समिति में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्यां के हिसाब से मण्डी समिति अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित आपूर्ति आदेश की प्रति संलग्न नहीं पाई गई, जिस बारे आपति दर्ज करके पूछे जाने पर बताया गया कि उपरोक्त डायरियां समिति के कर्मचारियों व् गठित की जाने वाली कमेटी के सदस्यों हेतु क्रय की गई है परन्तु डायरियों के स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर निम्नलिखित आपतियां पाई गई;

(i) आवश्यकता से अधिक डायरियों का क्रय करके ₹1505 का अनियमित व्यय:-

अभिलेख की जाँच से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2018 में निम्नतलिकानुसार 14 डायरियों की अधिक खरीद करके मण्डी समिति कोष से ₹1505 का अनियमित भुगतान हुआ है जिस बारे या तो तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1505 की उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डी समिति कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए|

डायरी का विवरण	अंकेक्षण के अनुसार डायरियों की आवश्यकता	क्रय की गई डायरियों की संख्यां	अंकेक्षण के अनुसार डायरियों की अधिक खरीद	प्रति डायरी क्रय दर	डायरियों की अधिक खरीद पर अनावश्यक व्यय
VIP डायरी	4	4	शून्य	-----	------
अधिकारी डायरी	19	30	11	115/-	1265/-
सहायक डायरी	22	25	3	80/-	240/-
कुल	**45**	**59**	**14**	**------**	**1505/-**

(ii) सरकारी डायरियों को गलत तरीके से जारी करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग डायरियां छपवाई हुई है जिन्हें नियमानुसार श्रेणीवार ही जारी किया जाना चाहिए परन्तु मण्डी समिति के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्यां 5 व् 371 पर डायरियों की प्रविष्टियों की पड़ताल करने पर पाया गया कि कार्यालय द्वारा डायरिया जारी करते समय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है क्योंकि कार्यालय द्वारा अधिकारी डायरियां सहायकों तथा सहायक डायरियां चपड़ासियों/चौकीदारों को जारी की जा रही है जिसकी पुष्टि निम्नतालिका में दिए गए विवरण से स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है;

कर्मचारियों के नाम जिन्हें अधिकारी डायरियां जारी की गई			
क्रमांक	**कर्मचारी का नाम**	**पदनाम**	**विवरण**
1	श्री रमेश शर्मा	लिपिक	स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्यां 5 के अनुसार खरीदी गई कुल 30 अधिकारी डायरियों में से 14 डायरियां नियम/निर्देशों के विरुद्ध लिपिकों, सहायक नीलामीकर्ताओं तथा कनिष्ठ अभियन्ता को जारी की गई है।
2	श्री पत राम	लिपिक	
3	श्री सुशील कुमार	लिपिक	
4	श्री लायक राम	लिपिक	
5	श्री रेवा शंकर	लिपिक	
6	श्री गंगा राम	सहायक नीलामीकर्ता	
7	श्री कुलवन्त	सहायक नीलामीकर्ता	
8	श्री घन श्याम	सहायक नीलामीकर्ता	
9	श्री सतपाल	सहायक नीलामीकर्ता	
10	श्री यशवंत	सहायक नीलामीकर्ता	
11	श्री हेम राज	सहायक नीलामीकर्ता	
12	श्री ब्यास देव	सहायक नीलामीकर्ता	
13	श्री संदीप कुमार	सहायक नीलामीकर्ता	
14	श्री नवीन शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता	
कर्मचारियों के नाम जिन्हें सहायक डायरियां जारी की गई			
1	श्री बाबु राम	चपड़ासी	स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्यां 371 के अनुसार
2	श्री रणजीत	चपड़ासी	

3	श्री नेम चन्द	चपड़ासी	खरीदी गई कुल 25 सहायक डायरियों में से 10 डायरियां निर्देशों के विरुद्ध चपड़ासी, Out Source वाहन चालक तथा दैनिक भोगी कर्मचारियों को जारी की गई है|
4	श्री विक्रम	चपड़ासी	
5	श्रीमती सुनीता	चपड़ासी	
6	श्रीमती कृष्णा देवी	चपड़ासी	
7	श्री अशोक	वाहन चालक	
8	श्रीमती कौशल्या	दैनिक भोगी	
9	श्रीमती गीता देवी	दैनिक भोगी	
10	श्रीमती गुड्डी देवी	दैनिक भोगी	

अतः सरकारी निर्देशों की अवहेलना करके गलत तरीके से डायरियों को जारी करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा डायरियों के इस प्रकार से किये गए दुरूपयोग की राशि का आकलन करके उसकी उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(iii) वर्ष 2017 में ₹10000 में क्रय की गई सरकारी डायरियों व् कैलेन्डर का विवरण स्टॉक रजिस्टर में न पाया जाना:-

सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2017 में खरीदी गई डायरियों व् कैलेन्डर के इन्द्राज हेतु स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्यां 5, 8 व् 371 पर प्रविष्टि न करके जगह खाली रखी गई है | जबकि कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 2017 की सरकारी डायरियों व् कैलेन्डर को क्रय करने हेतु बिल संख्या 512 दिनांक 17.12.2016 द्वारा ₹10000 श्री लायक राम लिपिक के नाम से आहरित की गई थी जिसका समायोजन अभी तक नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है | अतः क्रय की गई डायरियों व् कैलेन्डर की उसके खपत विवरण सहित स्टॉक प्रविष्टि करते हुए इस आशय हेतु अग्रिम के रूप आहरण की गई राशि का शीघ्र अति शीघ्र समायोजन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

{अंकेक्षण अधियाचना संख्यां:22 दिनांक 23.03.2018}

31 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दरों तथा बजट प्रावधान के बिना अधिवक्ता शुल्क ₹6.20 लाख का अनियमित भुगतान:-

बिल संख्यां 135 दिनांक 24.05.2017 द्वारा 6 CWP मामलों संख्या 1521, 1522, 1523, 1524 1517 तथा 1520/2016 से सम्बन्धित ₹350000 का भुगतान जोकि श्री श्रवण डोगरा वरिष्ठ अधिवक्ता व् महाधिवक्ता उच्च न्यायालय शिमला को एक मुश्त राशि के रूप में किया

जाना था अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया | उक्त बिल के अंकेक्षण में पाया गया कि न तो उक्त भुगतान से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई दरें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई तथा न ही उक्त भुगतान के लिए वितीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान अंकेक्षण को दर्शाया गया|

इसी प्रकार बिल संख्यां 133 दिनांक 24.05.17 ₹220000 केस नं 4032/13 हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड बनाम श्री अरुण कुमार ठाकुर जोकि Arbitration and Counsel Act 1996 के सेक्शन 34 के अन्तर्गत श्री रमाकांत शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता को अपील दायर करने की ₹110000 (प्रति केस) तथा बिल संख्यां 134 दिनांक 24.05.17 केस नं 53/111 श्रीमती देवयानी शर्मा अधिवक्ता को ₹25000 (प्रति केस) भुगतान किया जाना था| उक्त बिलों की जाँच में पाया गया कि भुगतान की जा रही फीस से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दरों की प्रति संलग्न नहीं थी और न ही उक्त व्यय के लिए वर्ष के दौरान बजट प्रावधान था तथा यह भुगतान सीधे अधिवक्ताओं को न करके प्रबन्ध निदेशक विपणन बोर्ड के माध्यम से किया जाना था|

बिलों को उक्त बारे अंकेक्षण आपति दर्ज करके वांछित अभिलेख के साथ प्रस्तुत करने बारे कहा गया परन्तु सचिव APMC द्वारा इस उत्तर के साथ उक्त बिलों को पुनः पारित करने हेतु प्रस्तुत किया गया कि वांछित अभिलेख को हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड शिमला से प्राप्त करके अंकेक्षण को दर्शा दिया जायेगा|

अतः सचिव APMC, के आश्वासन व् बिल की प्रकृति को देखते हुए उक्त बिलों को इस शर्त के साथ पारित किया गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिवक्ताओं की निर्धारित की गई दरें तथा उक्त भुगतान के लिए वितीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त बजट प्रावधान तथा भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित पावतियाँ/रसीदें प्राप्त करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए परन्तु अभी तक वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए।

{अधियाचना संख्यां:24 दिनांक 26.03.2018 तथा 25 दिनांक 27.03.2018}

32 सरकारी दिशा-निर्देशों के विपरीत फर्नीचर की खरीद पर ₹0.35 लाख का अनियमित व्यय:-

बिल संख्यां 241 दिनांक 03.07.2017 जोकि मै0 नरेश कुमार शिमला-1 से एक एग्जीक्यूटिव कुर्सी तथा 22.95 वर्ग मीटर कारपेट की खरीद तथा उसे लगाने पर खर्च हुए ₹35148 के भुगतान से सम्बन्धित था| उक्त बिल के अंकेक्षण में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश संख्यां:FIN-(1)(C)14-1/83 दिनांक 06.09.1995 व् 03.06.2014 के निर्देशानुसार फर्नीचर की खरीद पर पूर्णतः प्रतिबन्ध था तथा प्रतिस्थापन की स्थिति में

नियमानुसार पुराने फर्नीचर को अनुपयोगी किया जाना सरकार द्वारा जारी उपरोक्त दिशानिर्देशों की पूर्णतः अवहेलना है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त खरीद को सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

{अधियाचना संख्यां:27, दिनांक 31.03.2018}

33 **लघु आपत्ति विवरणी:-** यह अलग से जारी नहीं की गई|

34 **निष्कर्ष:-** मण्डी समिति द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली तथा उससे सम्बन्धित अभिलेखों को विहित नियमों के प्रावधानानुसार रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिए जाने की तथा दुकानों के किराये की राशि की समय-समय पर वसूली करने तथा मण्डी समिति कोष से कोई भी खर्चा करने से पूर्व सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करके एवम रोकड़ बही/खाता बही के संधारण में सुधार की नितांत आवश्यकता है|

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)40/76–खण्ड–12 930–933 दिनांकः 03.03.2020
शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भवन खलीनी शिमला–171002

पंजीकृत 3. सचिव, कृषि उपज समिति सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना, कृषि उपज समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें व तदानुसार इस कार्यालय को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

4. अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना, कृषि उपज विपणन समिति सोलन, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट–''क''

पैरा संख्याः 1(घ) से सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1. पैरा 6 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1986 से 3/1987

1. पैरा 24(बी) अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1989

1. पैरा 11 अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1991

1. पैरा 7 अनिर्णीत
2. पैरा 16 अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1996

1. पैरा 9 अनिर्णीत
2. पैरा 14(1)(2) अनिर्णीत
3. पैरा 15(क,ख) अनिर्णीत
4. पैरा 17 अनिर्णीत
5. पैरा 18 अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1999

1. पैरा 6 अनिर्णीत
2. पैरा 29(1,2,4) अनिर्णीत
3. पैरा 31 अनिर्णीत
4. पैरा 41 अनिर्णीत
5. पैरा 42 अनिर्णीत
6. पैरा 43 अनिर्णीत
7. पैरा 44 अनिर्णीत
8. पैरा 45 अनिर्णीत
9. पैरा 46 अनिर्णीत
10. पैरा 48 अनिर्णीत
11. पैरा 53 अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2003

1. पैरा 13(ग) अनिर्णीत
2. पैरा 14 अनिर्णीत
3. पैरा 15(ख) अनिर्णीत
4. पैरा 21 अनिर्णीत
5. पैरा 35 अनिर्णीत
6. पैरा 41 अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2005

1.	पैरा 9	अनिर्णीत
2.	पैरा 10(ख,ग)	अनिर्णीत
3.	पैरा 12(च)	अनिर्णीत
4.	पैरा 17	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1.	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
2.	पैरा 11	अनिर्णीत
3.	पैरा 13	अनिर्णीत
4.	पैरा 14	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1.	पैरा 5	अनिर्णीत
2.	पैरा 7	अनिर्णीत
3.	पैरा 8	अनिर्णीत
4.	पैरा 9	अनिर्णीत
5.	पैरा 10(ज)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1.	पैरा 5(2)	अनिर्णीत
2.	पैरा 6	अनिर्णीत
3.	पैरा 7	अनिर्णीत
4.	पैरा 8	अनिर्णीत
5.	पैरा 10	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 7	अनिर्णीत
3.	पैरा 8	अनिर्णीत
4.	पैरा 9	अनिर्णीत
5.	पैरा 10	अनिर्णीत
6.	पैरा 11	अनिर्णीत
7.	पैरा 12	अनिर्णीत
8.	पैरा 13	अनिर्णीत
9.	पैरा 14	अनिर्णीत
10.	पैरा 15	अनिर्णीत
11.	पैरा 16	अनिर्णीत
12.	पैरा 18	अनिर्णीत
13.	पैरा 20	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1.	पैरा 6	अनिर्णीत

2.	पैरा 8	अनिर्णीत
3.	पैरा 9	अनिर्णीत
4.	पैरा 12	अनिर्णीत
5.	पैरा 13	अनिर्णीत
6.	पैरा 14	अनिर्णीत
7.	पैरा 16	अनिर्णीत
8.	पैरा 17	अनिर्णीत
9.	पैरा 18	अनिर्णीत
10.	पैरा 19	अनिर्णीत
11.	पैरा 20	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
2.	पैरा 3(घ)	अनिर्णीत
3.	पैरा 3(च)	अनिर्णीत
4.	पैरा 3(छ)	अनिर्णीत
5.	पैरा 3(ज)	अनिर्णीत
6.	पैरा 3(ञ)	अनिर्णीत
7.	पैरा 6	अनिर्णीत
8.	पैरा 7	अनिर्णीत
9.	पैरा 8	अनिर्णीत
10.	पैरा 9	अनिर्णीत
11.	पैरा 10	अनिर्णीत
12.	पैरा 11	अनिर्णीत
13.	पैरा 13	अनिर्णीत
14.	पैरा 15	अनिर्णीत
15.	पैरा 16	अनिर्णीत
16.	पैरा 17	अनिर्णीत
17.	पैरा 18	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1.	पैरा 8	अनिर्णीत
2.	पैरा 11	अनिर्णीत
3.	पैरा 12	अनिर्णीत
4.	पैरा 14	अनिर्णीत
5.	पैरा 17	अनिर्णीत
6.	पैरा 18	अनिर्णीत
7.	पैरा 19	अनिर्णीत
8.	पैरा 20(क)	अनिर्णीत
9.	पैरा 20(ख)	अनिर्णीत
10.	पैरा 21	अनिर्णीत
11.	पैरा 22	अनिर्णीत
12.	पैरा 25	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 7	अनिर्णीत
3.	पैरा 9	अनिर्णीत
4.	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत
5.	पैरा 12	अनिर्णीत
6.	पैरा 13	अनिर्णीत
7.	पैरा 14	अनिर्णीत
8.	पैरा 15	अनिर्णीत
9.	पैरा 16	अनिर्णीत
10.	पैरा 17	अनिर्णीत
11.	पैरा 18	अनिर्णीत
12.	पैरा 19	अनिर्णीत
13.	पैरा 20	अनिर्णीत
14.	पैरा 21	अनिर्णीत
15.	पैरा 22	अनिर्णीत
16.	पैरा 24	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1.	पैरा 4(ख)	अनिर्णीत
2.	पैरा 5	अनिर्णीत
3.	पैरा 6(क,ख)	अनिर्णीत
4.	पैरा 9	अनिर्णीत
5.	पैरा 10	अनिर्णीत
6.	पैरा 11	अनिर्णीत
7.	पैरा 12	अनिर्णीत
8.	पैरा 13	अनिर्णीत
9.	पैरा 14	अनिर्णीत
10.	पैरा 15	अनिर्णीत
11.	पैरा 16	अनिर्णीत
12.	पैरा 17	अनिर्णीत
13.	पैरा 18	अनिर्णीत
14.	पैरा 19	अनिर्णीत
15.	पैरा 20	अनिर्णीत
16.	पैरा 21	अनिर्णीत
17.	पैरा 22	अनिर्णीत
18.	पैरा 23	अनिर्णीत
19.	पैरा 24	अनिर्णीत
20.	पैरा 25	अनिर्णीत

21.	पैरा 26	अनिर्णीत
22.	पैरा 27	अनिर्णीत
23.	पैरा 28	अनिर्णीत
24.	पैरा 29	अनिर्णीत
25.	पैरा 30	अनिर्णीत
26.	पैरा 31	अनिर्णीत
27.	पैरा 32	अनिर्णीत
28.	पैरा 33	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2015

1.	पैरा 7	अनिर्णीत
2.	पैरा 8	अनिर्णीत
3.	पैरा 10	अनिर्णीत
4.	पैरा 11	अनिर्णीत
5.	पैरा 12	अनिर्णीत
6.	पैरा 15	अनिर्णीत
7.	पैरा 16	अनिर्णीत
8.	पैरा 17	अनिर्णीत
9.	पैरा 18	अनिर्णीत
10.	पैरा 19	अनिर्णीत
11.	पैरा 20	अनिर्णीत
12.	पैरा 21	अनिर्णीत
13.	पैरा 22	अनिर्णीत
14.	पैरा 23	अनिर्णीत
15.	पैरा 24	अनिर्णीत

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2016

1.	पैरा 7	अनिर्णीत
2.	पैरा 8	अनिर्णीत
3.	पैरा 9	अनिर्णीत
4.	पैरा 10	अनिर्णीत
5.	पैरा 11	अनिर्णीत
6.	पैरा 12	अनिर्णीत

7.	पैरा 13	अनिर्णीत
8.	पैरा 14	अनिर्णीत
9.	पैरा 15	अनिर्णीत
10.	पैरा 16	अनिर्णीत
11.	पैरा 17	अनिर्णीत
12.	पैरा 18	अनिर्णीत
13.	पैरा 19	अनिर्णीत
14.	पैरा 20	अनिर्णीत
15.	पैरा 21	अनिर्णीत
16.	पैरा 22	अनिर्णीत
17.	पैरा 23	अनिर्णीत
18.	पैरा 24	अनिर्णीत
19.	पैरा 25	अनिर्णीत
20.	पैरा 26	अनिर्णीत
21.	पैरा 27	अनिर्णीत
22.	पैरा 28	अनिर्णीत
23	पैरा 29	अनिर्णीत
24	पैरा 30	अनिर्णीत
25	पैरा 31	अनिर्णीत
26.	पैरा 32	अनिर्णीत
27	पैरा 33	अनिर्णीत

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2016 से 03/2017

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क चैक संख्यां 247981 दिनांक 18.06.2018 द्वारा जमा करवा दिया गया है जिसके दृष्टिगत पैरा निर्णित किया गया|)
2	पैरा 4(क)(ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 4(ग)	समाप्त	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपण के दृष्टिगत पैरा समाप्त किया गया)
4	पैरा 5(क)(ख)	समाप्त	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण

			प्रतिवेदन में प्रारूपण के दृष्टिगत पैरा समाप्त किया गया)
5	पैरा 6	समाप्त	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपण के दृष्टिगत पैरा समाप्त किया गया)
6	पैरा 7	अनिर्णीत	
7	पैरा 8	अनिर्णीत	
8	पैरा 9	अनिर्णीत	
9	पैरा 10	अनिर्णीत	
10	पैरा 11	अनिर्णीत	
11	पैरा 12	अनिर्णीत	
12	पैरा 13	अनिर्णीत	
13	पैरा 14	अनिर्णीत	
14	पैरा 15	अनिर्णीत	
15	पैरा 16	अनिर्णीत	
16	पैरा 17	अनिर्णीत	
17	पैरा 18(क)(ख)(ग)(घ)	अनिर्णीत	
18	पैरा 19	अनिर्णीत	
19	पैरा 20	अनिर्णीत	
20	पैरा 21	अनिर्णीत	
21	पैरा 22	निर्णित	(पैरा की गई कार्यवाही के दृष्टिगत निर्णित किया गया|)
22	पैरा 23	अनिर्णीत	
23	पैरा 24	अनिर्णीत	
24	पैरा 25(1)(2)(3)	अनिर्णीत	
25	पैरा 26	अनिर्णीत	
26	पैरा 27(क)(i) से (iv)(ख)	अनिर्णीत	
27	पैरा 28(क)(ख)(ग)(घ)(ड)	अनिर्णीत	
28	पैरा 29	अनिर्णीत	

29	पैरा 30	अनिर्णीत
30	पैरा 31(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
31	पैरा 32	अनिर्णीत
32	पैरा 33	अनिर्णीत
33	पैरा 34(ii) से (vii)	अनिर्णीत
34	पैरा 35(क)(ख)	अनिर्णीत
35	पैरा 36	अनिर्णीत
36	पैरा 37(क)(ख)	अनिर्णीत
37	पैरा 38	अनिर्णीत

1.	दिनांक 31.03.2017 को अनिर्णीत पैरो का शेष	221
2.	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाये गए पैरे	29
3.	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णित किये गए पैरे	-5
4.	**दिनांक 31.03.2018 को कुल अनिर्णीत पैरों का शेष**	**245**